

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND SOCIETIES

VOL-05, AUG. 2008

EDITOR:

DR. RISHIKESH SINGH

PUBLISHED BY:

**INDIAN LABORATORY OF SOCIAL
SCIENCES AND SOCIETIES**

CONDUCTED BY:

(DRST3, IV/147/2001)

* All rights reserved. No part of this publication including its style and presentation, may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means- electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written concern of "Indian Laboratory of Social Sciences and Societies".

* View expressed in research papers are personal opinions of all contributors.

* **Biannual**

* International Standard Serial Number : 0974-7265

* **Prints-1000 copies.**

* **Not for sale.** Only for academic use.

* Edited by **Dr. Rishi Kesh Singh**, Senior Lecturer, Post Graduate Department of Political Science, Lal Bahadur Shastri Post Graduate College, Gonda, (U.P.) and published by "**Indian Laboratory of Social Sciences and Societies**" (Conducted by : DRST3, IV/147/2001) Gandhmadan, 20 -Laxmanpuri Colony, Amaniganj, Faizabad, (U.P.) and printed by **Sri. Tarkeshwar Singh, Sarva Seva Sangh Campus, Rajghat, Varanasi (U.P.)** for carrier point computer education centre (**Transit office of the "Indian Laboratory of Social Sciences and Societies", 447 , Malviya Nagar, Gonda (U.P.)**)

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	शोध-पत्र	शोधार्थी	पृष्ठ
1.	<i>Editorial</i>		04
2.	<i>Graham Greene : His Religion and Art</i>	Dr. Uday Pratap Singh	05-07
3.	<i>Direct Selling in India</i>	Mridul Deo Shakya	08-16
4.	<i>Empowerment of Women : A Study in Conceptual Arena</i>	Dr. Ajay Singh	17-21
5.	<i>Inteligence, Extraversion, Pshychoticism and Neveroticism : Their Distribution in Criminals</i>	S. N. Singh/ V. N. Trivedi	22-27
6.	<i>Gandhi Revisits Social Justice</i>	Dr. Manjul R. Tripathi	28-30
7.	द्विवेदी युगीन निबन्ध : एक दृष्टि	ऋचा सिंह	31-33
8.	भोजपुरी लोकोक्तियों का समाजशास्त्र	डॉ. के. बी. सिंह	34-40
9.	सत्य-अहिंसा और गांधी	डॉ. रमाकान्त सिंह	41-45
10.	शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त एवं सामान्य बच्चों के अभियोजन कौशल का एक अध्ययन	गौतम प्रसाद सक्सेना	46-50
11.	भारतीय परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक शून्यता	डॉ. ऋषिकेश सिंह	51-59

Editorial

I feel a deep sense of pleasure in presenting the fifth volume of "Indian Journal of Social Sciences and Societies" before you. This Journal is published by "Indian Laboratory of Social Sciences and Societies" a research institute established under Dr. Rama Shankar Tiwari Tribhuwan Trust, Gandhmadan, 20 -Laxmanpuri Colony, Amaniganj, Faizabad, U.P., on the 29th August, 2005. The purpose of the Laboratory is "latest research in social sciences and societies and it shall attempt to achieve this purpose by Organizing Workshops, Seminars, Debates, exhibitions and publication of a journal". This journal is an attempt in achieving the purpose of the Laboratory. There are so many research journal of various disciplines containing the research papers of only one concerned discipline and not of others. But this type of journals does not satisfy the requirements of Interdisciplinary Approach which is world- wide tendency in the study and researches in recent years. This journal is an attempt to satisfy such said requirements. It is based on Interdisciplinary Approach and it contains the research papers from various disciplines namely Political Science, Sociology, Education, Economics, Psychology, Geography, Military Science, Art Subjects, Commerce, Spiritual Sciences and Natural Sciences etc with a view to represent perfectness and wholeness of knowledge in the field of research.

I can not part without acknowledging the wholehearted cooperation and steadfast devotion, I received from the members of Governing body, Executive body, Editorial board, Advisory council of "Indian Laboratory of Social Sciences and Societies" and above all from the honest researchers who sent their papers for publication and got them published herein.

I hope with firm belief that this volume will draw the attention and appreciation of learned scholars of various disciplines and the journal will, considerably, be prompting and promoting the latest researches in the field of study as a whole.

Positive and constructive suggestions are hereby heartedly invited.

Date: August 29, 2008

-Dr. RishiKesh Singh

GRAHAM GREENE : HIS RELIGION AND ART

*—Dr. Uday Pratap Singh**

Religion, for various reasons continues to be one of the most pressing considerations in the present day of highly industrialized world. The different attitudes towards religion get reflected in art and literature in a highly specialized manner. Graham Greene, one of the most widely-read novelists, a superb story - teller and an eminent journalist has made catholic faith and moral issues the themes of his literary arts. He portrays conflict between natural desire and conventional belief, and humanism and Catholicism, and in this way, he penetrates into psyche of his protagonists to reveal their inner drama and dilemma in a tense situation. He does not confine his art only to the world of sense, but he is capable of presenting subtle actions and reactions of soul under the pressure of sin suffering and salvation.

As it has been mentioned, Greene's works are preeminently catholic where concept of sin, functioning of mercy and ultimate redemption are studied with remarkable degree of precision and clarity. It is note-worthy that Greene's protagonists undergo a transformation into religious persons under the impact of the fertile elements of love and sacrifice. They resist the sterile and orthodox dogmas imposed on them by churches and struggle to cultivate the Christ-element through irrational acts. The more they understand the power and the glory of love, hope and sacrifice, the more meaning of authentic commitment gets revealed to them. Greene asserts that the true nature of religion dawns only on a sinner whose glory lies in his capacity for suffering for his fellow persons.

It is, here, to be mentioned that Greene has turned the conventional concept of sin and redemption upside down and has administered unbearable shock to co-religionists. According to traditional catholic faith, only the followers of the Christian rules can attain salvation and there is no

* Head Department of English, M. P. College, Mohania, Kaimur (Bihar)

alternative to the mortal sins like adultery, sacrilege, murder and suicide. The person who commits any of these crimes is found to be thrown into hell, for the mercy of God completely abandons him. Just contrary to the traditional belief, Greene emphatically advocates that a sinner of mortal sins can get salvation if he believes in the mysterious working of God's mercy. He opines that man is sinner by birth but 'the realization of God' is the only instrument of his salvation.

Greene's view on God is equally amazing. To him, God is the prime embodiment of two opposite aspects : good and evil or day-side and night-side. On human level, the night side is intensely felt in life due to sin, and suffering, tension and turmoil; and death and destruction. In this painful situation, man undergoes a feeling of isolation from God, society and himself. The intense feelings of isolation and suffering make him realize that the real evil lies within in the form of corrupting egoism and self-love. Hope operates as an integral part of Greene's fictional world and drives the characters towards self-examination and involvement in the destiny of others. This results in the flowering of love, faith, corruption and sacrifice in them; and these qualities are once seen in Christ—the supreme example of fertile elements.

Greene presents conflict between natural desire and conventional belief and between humanism and Catholicism. To him, orthodox religion is only a form of evil that operates not only in the external world but also on the inner level of experience. As a result, there rages a deeper and more complicated conflict between the traditional complacent self and emerging awakened one. In this state, protagonists get increasingly overwhelmed by doubt, despair and hopelessness. Finally, hope and faith come to rescue them and resolve all conflicts.

So far as suffering is concerned it has purgatory importance and puts us "in touch with human condition, and with suffering we become part of the Christian myth."² It helps to release the true nature of religion that lies in inclusion of opposites and paradoxes as Greene suggests that suffering "is the part of heaven as pain is the part of pleasure"³ and "our sins have so much beauty".⁴

To sum up Greene has made a sincere attempt to show how hope or

faith is thwarted by the negative attitude of the organized religion but intense suffering proves a boon for the realization of God. He further pleads that a true religion incorporates both—good and evil, pain and pleasure, hell and heaven and even death and life and, thus, it gives birth to a sense of tolerance, sacrifice and love for one and all.

References

1. *Religion does not consist in talks or doctrines of books, but in realization; its not learning but being*, Teaching of Swami Vivekanand (Religion), page 241.
2. Graham Greene : *A Burnt - Out Case*, Penguin Books, 1964, page 128.
3. Graham Greene : *The Pride and the Glory*, Penguin Boos, 1967, page 69.
4. Ibid, page 130.

DIRECT SELLING IN INDIA

—Mridul Deo Shakya*

To know about and to understand direct selling entirely. We should have gone through the ancient life of humans and we have to understand the serial development of the Indian market and business.

The Ancient History of Marketing

In the very recent times when humans were lived in forests, caves and on the trees. They were consumer since that time and now modern human is still a consumer. And upto the existence to humans they will be the consumer.

In the past age they had fulfilled their needs by eating fruits, flowers, roots and by hunting animals. At that time they were very much uncivilized hence they used to live nude. Time was passed and they developed some sense to shame so they used to wrap their secret organs by leaves and works. The first step of ancient human was animal husbandry to meet out their increasing needs and later they cultivate the land to yield the food grains.

After some time they made baskets and mats for their needs. This was the time when they started to exchange the products in place of products and it was called barter system. This was the very beginning age of the business. They used copper, zink to form coins for the transaction of goods and primary business was started in ancient age.

The invention of fire and wheel were the milestone for the humans. They formed carts to transport the luggage from one place to another. Gradually the link roads among the villages were constructed the business or the selling took the systematic sell in ancient India. The hats markets and meals were gradually come in existence and the people used to go these places to sell and buy the products to fulfill their daily needs.

* M.Com., B.Ed.

At this time the people cooperated each other in every work and they got some good for their used. They made developments in all spares of life. They made cloths, ornaments, instruments, currency and they also constructed small and big houses for their shelters. But the main economics base of life was agriculture.

In Vaidic age, people started business for selling and used roads and reverse for business to remote areas.

In Buddha age, their was carpenters, goldsmiths, tone cutters, cloths weavers, rangrez, leather smith, pot makers, cooks, fishers, hunters, flower sellers, driver of ships were well established the most part of the Mugal age was luxuries to the rich people of the India and the business activities in India in this age was well established. Some business men earn profit by selling the general commodities. In this age the most powerful business centers were Rome, India and China.

In Mugal age, the business in India got a momentum. The Mugal rulers made some laws and imposed some taxes on businessmen. And due to being common currency the business activities grew very fast. The Mugal rulers made some rules and regulations and appointed wholesalers and retailers for systematic business to do the work systematic and they also fixed the prices for commodities.

The Changes in Indian Business

In 16th century some clever Britishers established East India Company. Gradually this company made harms to Indian Business. Slowly and slowly they covered the whole market and business of India. Britishers did exploitation of India for the well being of England and ruined the prosperous old economy of India.

But Britishers did some positive developments for India like construction of roads and railways. These developments became milestones for India when Britishers lift the country.

In Today's Modern India

In 1950 only 20,30,000 people was employed in Modern Industries out of 35 crore population in India. In free India the Government constructed many kilometers's of roads and railway lines. The Indian market again gained

its shapes due to development in all sectors. For example—Agriculture, Industry, Banking, Transport be developed over present marketing system or business.

Constitutes of Business in India

Our modern pattern of business consists :

1. Manufacturers, 2. Carry and forward agents, 3. Advertisements, 4. Wholesalers, 5. Retailers, 6. Consumers.

1. Manufactures : The role of manufacturers was production oriented. The main aim of manufacturers was to increase the production and after selling to earn more and more profit. Later on in recent time, the manufacturers are consumer oriented and today the manufacturers first collect the data's by the survey before making the products. They pay full attention on quality, price, durability of products for the same purpose and they organize training sessions to educate the consumers. Some times they also give incentives on purchase. They also arrange for researches.

2. Carry and forward agents : They are middlemen who are very rich people. They purchase all the production from company and make wholesalers for his area and earn a commission.

3. Advertisement : Advertising is non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified spencer like Amitabh Bachchan or Shahrukh Khan. It is impersonal promotion in which a standard message is transmitted to a large audience. Advertising pulls the products by directly appealing to potential customers from the channels. Therefore it is said to build 'pull effect' in the market.

Example of consumer exploitations in India by advertisements : An advertisement of a well known cream Fair and lovely promises us for whiteness of face within 15 day's. Indians are using this cream for many years but still more percents of Indians is black. A total false promises.

4. Wholesalers : Wholesalers buy goods in bulk from producers and selling them in small quantities to retailers. Wholesalers undertake the responsibilities of procuring and storing large quantities of goods for supply to the retailer as and when required by them. He provides information to manufacturers for demand of customer preferences and competition

etc. He receives commission from the manufacturer on goods purchased.

Functions of wholesalers

(i) Buying and assembling, (ii) Sub dividing or breaking the bulk, (iii) Warehousing, (iv) Transportation, (v) Risk bearing, (vi) Market Information.

5. Retailers : The retailers sell the goods in small quantity directly to consumers and he usually purchases goods from wholesalers but sometimes from manufacturers directly. They are a vital link between manufacturers and consumer and generate goodwill for manufacturers through the wholesalers. Retailers may stock different types of goods or a single line of goods that is food grains, books, leathers, cosmetics etc.

Functions of retailers

(i) Assortment of products, (ii) Provide information, (iii) Convenient location, (iv) Pricing, (v) Credit arrangements, (vi) Display arrangement.

6. Role of consumer (Consumer is the king) : Marketing is not possible without customers or buyers/consumers. Customers refer to people or organizations that seek satisfaction of their needs and wants. They move to markets to buy products and services. Without customers there can not be any market because customers bring their needs and wants to the market.

(A) Consumer Rights : For the protection of consumer properly, it is necessary to develop a general awareness about the rights of consumer. Consumer has the following rights :

(i) Safety, (ii) Information, (iii) Choice, (iv) Representation, (v) Consumer education, (vi) Basic Needs, (vii) Healthy environment.

(B) Importance of Consumer protection : Consumers must be protected by exploitation by and cost. It is in the interest of both, business as well as customer that business should be run for all concern and for a long time. Following views express the importance of consumer protection in India :

(i) Business is a mean of human welfare, (ii) Growth with social justice, (iii) Single vs multiple objectives, (iv) Stakeholder approach, (v) Power centre.

(C) Consumer Responsibilities : In spite government and not government organizations, exploitation of consumers will not be stopped till consumers come forward to safeguard their own interest first. Consumers have also to bear some responsibilities given below :

(i) Consumer must exercise his rights, (ii) Cautious consumer, (iii) Complaint for genuine grievances, (iv) Consumer must be quality conscious, (v) Advertisement often exaggerate, (vi) Insist on cashmemo.

Modern Marketing or Selling in India

The structure of modern marketing in India is as follows :

1. **Departmental Store :** Departmental store is a large established, having a number of departments under one roof. Each department confined to a particular line of goods like medicines, furniture, books, clothing and so on.
2. **Multiple Shops/Chain Stores :** This is like a retail shop owned and controlled by a single organization and located in different parts of a city or country. Chain stores deal in a limited variety of products on fixed price.
3. **Mail Order Retailing :** Mail order retailing also called *shopping go by post*. The sellers approach the potential buyers through advertisement and mail publicity, i.e. by sending circular, catalogues, price list, samples, booklets etc. Consumer chooses the product and send the order by post.
4. **Consumers Cooperative Store :** This system has become very popular in certain parts of the country. The customers themselves come together to form a cooperative society. This society enrolls members from the general public or the particular groups like the employees. The object is to save members from exploitation by middlemen as regards price, quality, weight etc.
5. **Super Market :** A super market is a large scale retailing organization established as a private sector enterprises stores selling a wide variety of consumer goods under one roof. They are very large size and run

on purely business considerations. They provide self service or by salesmen in different countries. The consumer select the product and make payment at the cash counter.

6. **Franchise** : It is an agreement between two parties. The parent company provides the right to use its trademark. The shops in different markets with the same name selling the same product and maintaining a similar type of shop are under franchise agreement.
7. **Non Store Retailing** : Now a days a growing number of sales are taking place outside stores where the manufacturer or the direct selling companies sells products directly to the consumers. Now a days many business are using this method. We consider here three types of non store retailing.
 - (i) **Direct Marketing** : Some businesses concentrate on direct marketing to sell their products to customers. Direct marketing means reaching out to customers using advertising as a method of promotion to sell products. There are many forms of direct marketing which are direct man, catalogue retailing and televised shopping. Direct marketing offers certain advantages. It provides shopping convenience and saves valuable time of busy people. But, this method also suffers from a number of limitations. There is a lot of scope for giving misleading information about the products and deceiving the customer. Catalogues and direct mail are very expensive methods. Direct marketers have to offer money back or return package.
 - (ii) **Telemarketing** : Telemarketing in simple terms means contacting a person on telephone and persuading a prospective customer to buy a product. It implies relying exclusively on telephone with no back up material to effect sales. The main advantage of telemarketing is of convenience from the customer's point of view. They save a lot of time by making a purchase over the telephone. Telemarketing has many drawbacks also. Some calls come at odd hours. Customers can get very irritated with such unsolicited calls. The sales representative may not be very explicit

at times and a different impression maybe conveyed to the customer. High labour costs are associated with telemarketing.

- (iii) **Lanterns marketing** : Now-a-days on-line retailing services are offered by computerized networks. The consumer has to log on to the internet, go to a particular websites and order from the information given there. Many retailers are using computerized systems to satisfy busy professionals and working families. Publishers and booksellers finds this method very suitable. It is very useful for importers and exporters and save valuable time and money.

Personal selling is also a Type of Direct Selling

It involves face to face interaction between the sellers and the prospective buyer or buyers for the purpose of marketing a sale. Selling is so pervasive that everybody sells something. The important characteristics of personal selling are : Personal interaction; Two way communication; Better response and relationship.

Indian Direct Selling Association (IDSA)

It is a registered body for direct selling in India. Under this following companies or registered which can do legal direct selling. They are :

1. AMC Cook Ware (India) Pvt. Ltd.
2. Amway India Enterprises.
3. Avion Beauty Products India Pvt. Ltd.
4. Atlos Enterprises Limited.
5. Daehsan Trading (India) Pvt. Ltd.
6. Forever Living H, N and B Products Pvt. Ltd.
7. Herballife International India Pvt. Ltd.
8. Hindustan Liver Network.
9. Modi Care Limited.
10. Oriflame India Pvt. Ltd.
11. Quantum International Pvt. Ltd.
12. Surinder India Pvt. Ltd.

13. Educational Technologies Limited (Time Life India)
14. Tupperware India Pvt. Ltd.
15. P. S. Press and Digital Studio.

The Growth of Direct Selling

Direct Selling : Direct selling is dynamic vibrant, rapidly expanding channel of distributors for the marketing of products and services direct to consumers. It is estimated that during the past eleven years (1995-2006). About fifteen Indian and multi level companies have entered in the market of India.

Direct selling can be best described as the marketing of products and services directly to consumers in a face to face manner or networking between people, generally in their home or the homes of other or their work places and other places away from permanent retail location by an independent direct sales person.

In twenty first century time is "more valuable then money". Some customers who like good products with world class quality and the people who are busy have no much time to go retail shops. They want world class products and services at their door steps. Network marketing has become more popular abroad and in India, it is also increasing rapidly. Indian Direct Selling Association (IDSA) members offer their consumers protection by money back guarantees, refund policies and the ability to refer to an independent ombudsman appointed by the industry.

Turnover : The direct selling industry in the country, as per IDSA has grown from a meager Rs. 300 crore in 1996 to Rs. 2,000 Crore in 2002 with over 10,00,000 sales people involved. In the year 2002-03 the total no. of sales people increased to 12,49,838 showing a 25 percent growth over the last years figure in 10,00,000. In 2003-04 it is increased Rs. 2700 crore with 26 percent growth and in 2004-05 it is increased to Rs. 4000 crore and it is increased to Rs. 7200 crore in 2006 and sales people increased to 4 million.

Future of Direct Selling

The future is very encouraging in the coming years more and more companies from different sectors will adopting Direct Selling and Network

Marketing approach to push their products. As competition stiffens companies will look as, more personalized, specialized and focused communication and hence the direct selling avenues will throw up more opportunities. In coming years the growth of IDSA members in India will increase more and millions and millions people will get income opportunities. It also give a huge amount of sales tax and income tax revenue to the country.

All companies reported that the highest threat and challenge to the growth and development of direct selling was the emergency of pyramid and fraud companies who were riding on the success of genuine direct sellers and bringing bad name to the entire industry.

The companies reported that due to lack of education and understanding between legit and illegit companies the customer and distributors were begin cheated. This left a bad taste for direct selling and network marketing making the customers and distributors wary of all companies. The problem was aggravated due to the lack of any legislation or entry barrier to such fraudulent direct selling companies. Almost all of them left that if a legislation was brought into control and stabilize the industry. The industry could offer excellent earning potential and products to the Indian consumers.

References

- * Prachin Bharat, Satyaketu Vidyalkar.
- * Madhyakalin Bharat, Vidyadhar Mahajan.
- * Aadhunika Bharat Ka Itihas, Ram Lakhan Shukla.
- * Aazadi Ke Bad Ka Bharat, Vipin Chandra.
- * Newsgram.
- * Business Studies, P. K. Ghosh.

EMPOWERMENT OF WOMEN : A STUDY IN CONCEPTUAL ARENA

—Dr. Ajai Singh

Women empowerment is a matter of discussion now a days. After second world war women of western and American Countries started demanding better wages, power, equal opportunity and better living and working conditions. It was another side of women liberation movement which took form of women empowerment movement. In 70's women movement was started (in India. In 1980's the Department of Women and Unit of development (Ministry of Human resource development) prepared a National perspective.

Empowerment is a transition from a position of powerlessness to one of power. It promotes women's inherent strengths and positive self-image. It should not be misunderstood to empower women means to give women more power to dominate others, men, women's empowerment in the family is the empowerment men and women both. Empowerment means acquiring ability and opportunity to participate and contribute in the social development empowerment process creatively and meaningfully. Women's empowerment means having their contribution recognized by themselves and by the society. Thus to empowerment women is to enable them to recognize and enhance their latent talents, abilities, capacity and real identity. The process of empowerment enables them to develop in them self dignity. It enables them to raise voice and fight against injustice, exploitation, abuse and violence done to them. In other words empowerment means making someone powerful facilitating the weak to attain strength, to increase one's self-esteem, to help some one to assertive, to enable some one to confront injustice and oppression and to support some one to fight

* Reader, Political Science, Handia P. G. College, Handia, Allahabad (Uttar Pradesh).

for her rights. Strengthening them to confront family, community, casts, religion and traditional forces patriarchal forces and biases working within government departments. This participation is necessary to increase the productivity level of women. Thus women's empowerment means enlarging the choices and productivity levels of women and the collective contribution of women groups. Women empowerment is their participation in decision-making increased access to productive resources, expanded choices, right and control over her body and life.

Women's empowerment has become a suitable substitute for terms like women upliftment and development do not conceive effectively the ideas of gender quality and gender justice, the term empowerment has gained popularity over the other terms. Another concept closely associated with empowerment is 'Emancipation'. It refers to liberation from both natural and man-made mistress and a collective struggle on the part of the under privileged group. Emancipation has been described as gaining freedom and specifically in the process of the entry of the unprivileged into the mainstream. Though the concept of emancipation was widely used during the colonial struggle against imperialism, it owes its origin to the age of enlightenment or 'renaissance'.

Women empowerment is a relative concept. The relevant parameters are physical, medical, socio-economic political, legal and cultural status. The comparative status of men in all the above mentioned parameters is basically the criterion to measure the status of women. Equality in status and opportunity is the basic assumption for all the parameters. Lattice Menno has discussed the basic parameters of women's development in the context of awareness, social status, sexual liberation and professional achievement.

Women Empowerment is defined differently by different scholars. A comprehensive definition states that 'Empowerment of women is constructed as providing them with a sufficient degree of control, to give them decision-making powers, to enable them to raise the level of consciousness of their class and enhance to their gender status and rightful

entitlements. This can be done by securing greater access to resources, command over knowledge and bringing about significant ideological shift that result in changes in women's self-image and how they are perceived in relation to the community. It highlights the aspect of gaining control over resources and getting participation in the decision-making process. Empowerment includes the process of challenging existing power relation and of gaining greater control over the sources of power. The term refers to a range of activities, from individual self-assertion to collective resistance, protest and mobilization that challenge basic power relations. Thus, women empowerment is a process that enables a powerless woman to develop autonomy, self-control and confidence and with a group of women and men a sense of collective influence over oppressive social conditions.

Empowerment has both personal and social aspect. At personal level it is a significant change in the self-image and mental set and at the community level it is collective struggle for positive social change.

Gutierrez et al defines empowerment as basing the helping relationship on collaboration, trust and share power, utilizing small group; accepting the client's definition of the problem; identifying and building on the client's strengths, raising the client's consciousness of issues of class and power; actively involving the client in the change process; teaching specific skills; experiencing a sense of personal power within the helping relationship and mobilizing resources or advocating for clients. It clarifies the internal changes induced by the process of empowerment in the lives of women. It implies the active role of women in planning, implementation, monitoring and evaluating various empowerment programmes. Empowerment can be attained only by the participatory process. Women's participation in planning is gradually increasing but still it is far from being satisfactory.

Empowerment is a process basically to ensure equal enjoyment of all human rights. The UN charter has set this goal before humanity in 1946. Beijing declaration has clarified the nature of empowerment in the preamble itself. We are determined to intensify efforts to ensure equal enjoyment of all human rights and fundamental freedom for all women and girls who

face multiple barriers to their empowerment and advancement because of such factors as their race, age, language, ethnicity, culture, religion or disability because they are indigenous people, Concrete action plans are drawn by participating government at the fourth world conference at Beijing in 1996. The Beijing platform for action calls for individual and collective efforts.

The process of empowerment has five dimensions, e.i. cognitive, psychological, economic, political and physical :

1. The cognitive dimension refers to women having an understanding of the conditions and causes of their subordination at the micro and macro levels. It involves making choices that may go against cultural expectations and norms.

2. The psychological dimension includes the belief that women can act a personal and societal level to improve their individual realities and the society in which they live.

3. The economic component requires that women have access to, and control over, productive resources, thus ensuring some degree of financial autonomy. However, she notes that changes in the economic balance power do not necessarily alter traditional gender roles or norms.

4. The political element entails that women have the capability to analyses, organize and mobilise for social change; and

5. There is a physical element of gaining control over one's body, sexuality and the ability to protect oneself against sexual violence to the empowerment process.

All last after making a grave and through discussion on the concept of empowerment of women. It becomes more necessary to make a statement about the ways for achieving that. In this context, first of all, women must be provided more individual and social security. There must be individual autonomy for women in decision--making on significant matters such as purchase of house-hold articles, education and marriage of children, preparation of food, move out for recreational purposes, follow any hobby, saving etc. Hence, it is very necessary that males should change their attitudes at

mental level. Secondly, to make empowerment of women a reality, it is very important to give them economic security. This can be done by providing them jobs and opportunities according to their qualification. Marketing strategies which seek to ensure market products produced by women, increase their knowledge about markets. This knowledge boosts up their enterprising behavior. At last but not the least, women should be more active in the political area. This means not only the autonomy to exercise the franchise but also the membership and freedom to participate in social activities and organizations. By doing this only women will be able to improve their self-image and self-dignity making the empowerment a ground reality.

References

- * Empowering the India Women, Pramila Kapoor.
- * Women in Modern India, Forbes Geraldine.
- * Women in Indian Society, Neera Desai and Usha Thakkar.
- * Women in Indian Politics, Niraj Sinha.
- * Women in Decision-Making, Madhu Jha.

INTELLIGENCE, EXTRAVERSION, PSYCHOTICISM AND NEUROTICISM : THEIR DISTRIBUTION IN CRIMINALS

—S. N. Singh*

V. N. Trivedi**

The purpose of this study was to examine the association of intelligence, extraversion, neuroticism and psychoticism with criminality. A sample consisted of 100 criminals from sassaram jail in Bihar as well as 100 non-criminals from offices, institutions and business spheres were selected randomly and matched with respect to age, education, employment, economic condition and residence. The general intelligence test (Mohsin, 1968) and the Hindi Version of Eysenck Personality Questionnaire (Jahan and Singh, 1984) were administered on the sample. The obtained data were analysed employing 't' test. The findings reveal that intelligence, extraversion, psychoticism and neuroticism have been appeared as significant factors in determining criminal behaviour. Thus, criminals were found less intelligent, more neurotic, extroverts and psychotic than those belonging to non-criminals group.

The origin of criminal's generalized rejection of the social code, family and authority can be traced back to the early life history and the family conditions under which they are brought up. Delinquents rarely come from happy homes with wholesome atmosphere. At their back is a problem home. Such homes are characterized by complete absence of warmth and affection of parents, family disorganization and failure of protective role of the family. All these interfere with the balance development of personality. Children coming from such homes face difficulty in adjustment to adult demands and social exigencies and impulses which they can not curb and master, develop into such strivings and urges. Which are ex-

* Lecturer and Head, Department of Psychology, M. P. College, Mohania, Kamur (Bihar).

** Lecturer, Mahila College, Dalmianagar (Bihar).

pressed in destructiveness and other socially unacceptable behaviour. As such strivings and urges may also lead them to neurotic and psychotic reactions which may ultimately help them to indulge in criminal acts and/or anti-social activities.

A common sense psychology has been prevalent among normal people that criminals have limited intelligence due to which either they are unable to decide what is wrong or right at cognitive level or they are easily misled and readily prepared to commit crimes.

Several studies show that extraverts are found to commit not only juvenile delinquent acts but also crimes in adult life. Eysenck (1964) holds that antisocial behaviour is a consequence of poor conditionability which is a characteristic of extroverts. Studies carried out by Fine 1962; Person and Kelly 1963; Trasler 1962; have supported this view of Eysenck. However Shanmugham 1962 have found non-delinquents revealing greater number of extraversion traits. This study based on Indian sample shows the emergent needs of further studies too.

So far as intelligence is concerned several studies have been conducted and their findings reveal that criminals have limited intelligence (Grigg, 1948; Rao, 1960). However, few studies made by Carr, 1950; Taylor, 1960; Guneau, 1962; have displayed intelligence as non-significant psychological variable in influencing actively criminal behaviour or criminal activities. The study of Walter has also supported this view.

In the light of all the above things, a project is undertaken to explore out the distribution of intelligence, extraversion, neuroticism and psychoticism in criminals. The obtained data will throw light as to how far intelligence, extraversion, neuroticism and psychoticism are associated with criminality. The result of this study will project light and insight which will be fruitful to understand about criminals, criminality and criminal behaviour scientifically and provide policy and planning for removing delinquency and criminality away from society. These findings will also be helpful to launch preventive measures to nip in the buds the growing criminal tendencies in children as well as in adolescents.

Methodology

Sample

A sample consisted of 100 criminals from Sassaram Jail of Bihar state and 100 non-criminals from institutions, offices and business spheres were selected randomly. The two groups were matched with respect to age, education, economic condition and residence. One hundred criminals and equal non-criminals formed the experimental group and controlled group respectively. The term non-criminals refers to individuals who have not been convicted of crimes by a law court.

Tools

1. **General Intelligence Test (Mohsin, 1968)** : This consists of six-sub tests. The reliability of this test through test-retest method and splithalf method were found to be .89 and .95 respectively. Its correlation with Terman Mathematical Reasoning was found to be .63 and with school scores was found to be .65.
2. **Eysenck Personality Questinnaire (EPQ)** : Its hindi version was made by Jahan and Singh (1984). It consists of three dimensions. (i) Extraversion (ii) Neuroticism and (iii) Psychoticism. There are ninety total items in it.

The both psychological tools were administered on criminal and non-criminal groups. Obtained scores were analyzed employing 't' test.

Results and Discussion

Table-1 shows that there is significant difference in mean scores of non-criminals and criminals on intelligence. The mean score of non-criminal group is greater than that of criminal group. The result reveals that criminals are less intelligent than non-criminals. The results of Grigg (1948) and Rao (1960) are in line with the above result. This may be due to the fact that the persons who have limited intelligence are characterized by low adjusting capability, adoptability, reasoning power and slow learning ability. And as such persons are not easily well - socialized and do not comprehend complex situations of life properly feeling more difficulty in adjustment to adults demands and social situations.

Through Table-2, it is clear that the mean score of the criminals is greater than that of non-criminals on extraversion and the difference is significant statistically between the two means. This finding shows that the criminals are more extrovert than those belonging to non-criminals. This is in line with the findings obtained by the studies of Fine (1963); Parson and Kelly (1963) and Trasler (1962). According to Eysenck, it is the poor conditionability or slow-learning ability of the extrovert that makes him run afoul of the law. He also adds that extroverts are slow learners, they take more risks and expose themselves more to social interaction. Extroverts thus have greater opportunities to mix with all sorts of people and as such people also can be tempted to indulge in any criminal activity. This is why most criminals may be found associated with extraversion.

Table-3, indicates that on neuroticism the difference in means of criminals and non-criminals has been found significant showing higher mean score of criminals. According to the psychoanalysts, individuals who fail to develop and adequate super ego become criminals because of either a deficiency of control or excessive control over their instinctual drives. However this fails to explain as to why persons having identical elements of neuroticism sometimes become neurotic and sometimes, criminals? It has been shown with certain amount of certainty that the social background of delinquents are frequently not conducive to the development of strong self control system (Bundura and Walters, 1959). Therefore, a criminal in the process of development incorporates faulty ego ideals. Consequently, he experiences a wide discrepancy that exists between him and socially accepted models of behaviour. This gives rise to conflict between the deviant needs and values created by such development and demands of society. He seeks to resolve this conflict through criminal activity. He is also frequently exposed to deviant and aggressive models because he frequently comes from problem home in which the opportunities of adopting socially and culturally approved behaviour are lacking. Therefore, as such person having high neuroticism turns out to be criminal rather than neurotic.

Through Table-4, it is clear that the criminals have succeeded higher mean score on psychoticism as compared to those who are non-criminals and significant difference between them on psychoticism has been found

at .01 level. This indicates that criminals show higher degree of psychoticism than those bringing to non-criminal group. Psychotic persons are seen to fail to develop an adequate super Ego so they develop feeling of evilness within them. It is also because either they have no control or excessive control over their instinctual drives. They are also found to have weak self control system. In addition to this, psychotics are frequently exposed to deviant and aggressive models.

Conclusion

It may be concluded through the present study that criminals are more extrovert, neurotic and psychotic than non-criminals. Criminals are less intelligent than those who belong to non-criminal group. That is, extraversion, neuroticism, and psychoticism have been appeared as significant factors in determining criminality and criminal behaviour. Limited intelligence has been also found to be associated with evilness.

References

- * Bandura A. and Walters, R. H. (1959) *Adolescent Aggression*, New York, Ronald.
- * Carr, L. J. (1950) *Delinquency control*, New York, Harper.
- * Eysenck, H. J. (1964), *Crime and Personality*, London, Routledge and Khan Paul.
- * Fine, J. B. (1962), Two Personality Variables and their distribution in a criminal population, *American Journ, of Deficiency* 52, 370-374.
- * Guneau, M. (1962), Masochism and Guilty in Juvenila delinquents. *Psychol of France* (7), (2), 94-100.
- * Mohsin, S. M. (1968), *The Bihar Test of General Intelligence Manual of Introduction*, Patna. Educational Vocational Guidance Bureau.
- * Pearson, G. R. and Kelly, R. F. (1963), Anxiety, Extroversion and Personality idiosyncrasy, *J. of Psych*-56 (23), 441-445.
- * Rao, C. K. V. (1960), Intelligence in Group of Convicts. An analysis of 35 cases. *Trans. All India Institute of Mental Health* 1, 44-53.
- * Shanmugham, T. E. (1962), Difference between delissquent boys in inhibition, disinhibition and personality traits *psychol studies* 7 (1).
- * Taylov, R. S. (1960), The Habitual criminals *Brit. J. of criminal* (1), 21-36.
- * Trasler, G. (1962), *The Explanation of criminality*, London Routledge and Kagan Paul.

Table-1

Scores on Intelligence (GTT)

Sample	N	Mean	SD	't' ratio	Level of Significance
Criminal	100	85.50	16.64	4.87**	.01*
Non-Criminal	100	96.00	13.63		
				**PL.01	*PL.05

Table-2

Scores on Extraversion (EPQ)

Sample	N	Mean	SD	't' ratio	Level of Significance
Criminal	100	13.05	1.39	5.4**	.01*
Non-Criminal	100	11.56	2.45		
				**PL.01	*PL.05

Table-3

Scores on Neuroticism (EPQ)

Sample	N	Mean	SD	't' ratio	Level of Significance
Criminal	100	11.50	3.47	6.00**	.01*
Non-Criminal	100	8.30	3.60		
				**PL.01	*PL.05

Table-4

Scores on Psychoticism (EPQ)

Sample	N	Mean	SD	't' ratio	Level of Significance
Criminal	100	7.90	3.62	7.00**	.01*
Non-Criminal	100	4.84	2.26		
				**PL.01	*PL.05

GANDHI REVISITS SOCIAL JUSTICE?

—Dr. Manjul R. Tripathi*

It would be better to admit honestly that the paper neither intends, nor it needs lengthy definitions and statements from the various scholars on social justice and Gandhi too! The old order changed yielding place to new. The concept of social justice needs to be redefined in the recent times. There are so many 'Kavitas' kidnapped, murdered, every now men. Our political mentors make us dance to their tunes. No body has courage to fight the terror of violence, in order to defend the social, ethical and national values.

Not only social justice has to be redefined in the modern context, rather Gandhi must also revisit the Indian stall! Let me assert with no hesitation, Gandhi is not an individual but an ideology! And thus when he revisits the scene, he even reviews it.

We are one of the greatest democracies of the world. We are masters of our own destiny. Even then, undoubtedly, but modestly, we are not free. Mudraraksha, corruption, violence above all, a great hunger for being in the lime light in a couple of days, paying nothing or a least. Rise of this consumer culture has brought so many troubles. It would not be wrong to utter, we have lost our freedom once more! We would have to take a tough fight again for freedom. And that demands our comforts, our lives. Here Gandhi has to revisit with his Truth and Non-violence. There is no other escape, no alternative. Lies and violence cannot be defeated and wiped out by the same!

Truth and non-violence are not the weapon of cowards. Only 'iron man' dares to utilise them as weapons. Gandhi, in the very beginning of his public life said :-

* Reader, HOD, Political Science, L. B. S. P. G. College, Gonda (Uttar Pradesh).

“यह धमकी नहीं है, यह लोकशिक्षा है। लोगों को अपने दुःख दूर कराने के सब वास्तविक उपायों को बताना मुझ जैसों का धर्म है। जो जनता स्वतंत्रता चाहती है, उसके पास अपनी रक्षा का अन्तिम उपाय होना चाहिए। साधारणतः ऐसे उपाय हिंसात्मक होते हैं। सत्याग्रह शुद्ध अहिंसक शस्त्र है। उसका उपयोग और उसकी मर्यादा बताना मैं अपना धर्म मानता हूँ। अंग्रेज सरकार सर्वशक्तिमान है, इस विषय में मुझे कोई शक नहीं है, पर सत्याग्रह सर्वोपरि शस्त्र है, इस विषय में भी मुझे शंका नहीं है।”¹

Gandhi had foresighted the fact that India, with traditional weapons, would be no match with British empire. Perhaps, he had also realised the fact that common man of the nation in those times, was suppressed by British Government and hence afraid of it. Neither all of Indians could be provided with arms, nor they might be mentally prepared to bear the brunts - of that life. Yet they were troubled, exploited, poor and helpless, even uneducated, ill-clad, ill-fed! Gandhi had to fight for them. He took up their cause, with firm determination, but in a modest and dignified way, so that their miseries could not be enhanced!²

Despite it Gandhi had a great task of making the very common man fearless against British rule, so that he could fight for his exploitation by them. He did!³ If some one has to give only one example of his contributions in the struggle for independence of the country he may safely iterate and give that Gandhi made fearless the very last man of the country to wake up for her sake, with the weapons of Truth and Non-violence against British Empire!

And among all, the concept of social justice was predominant! There was one religious of freedom-fighting, one gender of freedom-fighters, one class of freedom-fighters, none was superior, none was violent, none was untrue! Rich one was Trustee simply. His property was of society!

Today, all looks like beautiful dreams! However, these dreams would have to be translated into reality; otherwise it would be very much difficult, even to think of social justice. Social justice is not a thing, that can be dictated, or preached, or forced upon. It is sweet relationship, just balance among the different classes, genders and religious, that generates respect and tolerance for each other and from within. Our leaders, whither

they are political or religious or so-called social, divide us and rule. They have no respect for social justice, or any kind of values.

That's why, Gandhi must revisit! Social Justice must be redefined in the present context. Any kind of violence and intolerance must be assassinated with Truth and Non-violence! Social justice must be also designed in the interest of nation! This is the need of hour. Otherwise, we would be washed away as nation! Past may be our school, where we may learn, it may be our grace, we may be proud of that, but one thing, that cannot be denied by any one that past had its own circumstances to cope with and the present has its own challenges to meet with. Merely one thing of eternal importance is - "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया" and must be fearless that for, fearless with Truth and non-violence! None and nothing can match them. Let us pray and hope Gandhi would revisit and social justice would prevail upon!

References

1. Satya Ke Saath Mere Prayog, P. 353, M. K. Gandhi.
2. See - Ahimsa Devi Ka Sakshatakar, *ibid*, p. 379, 380.

"सरकारी नोटिसों वगैरा के खिलाफ कानूनी विरोध करना होता, तो मैं कर सकता था, इसके बजाय मैंने उनकी सारी नोटिसों को स्वीकार कर लिया और अधिकारियों के साथ निजी व्यवहार में मिठास से काम लिया। इससे वे समझ गये कि मुझे उनका विरोध नहीं करना है; बल्कि उनके हुक्म का विरोध करना है। इससे वे मेरी ओर से एक तरह से निर्भय हो गये।"

3. *Ibid*, see page 386, "चम्पारण में महात्मा गांधी" - see for detail.

द्विवेदी युगीन निबन्ध : एक दृष्टि

—ऋचा सिंह*

यद्यपि भारतेन्दु युग में पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से निबन्ध साहित्य की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी लेकिन बीसवीं सदी के प्रारम्भ से ही पत्र-पत्रिकाओं की संख्या बढ़ने और साप्ताहिक एवं मासिक पत्रों के रंग-रूप में बदलाव के साथ ही निबन्ध साहित्य के कलेवर में भी परिवर्तन हुआ। इसी समय 'सरस्वती' के यशस्वी सम्पादक पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी का आविर्भाव हुआ और गम्भीर साहित्यिक निबन्धों की परम्परा का उद्घाटन हुआ। अब तक के निबन्धों में देश की परम्परागत भावना, पर्व, त्यौहार इत्यादि विषय रहते थे इसलिए उसकी शैली वर्णनात्मक और भावात्मक थी। द्विवेदी युग (१९००-१९२० ई.) में उनकी तुलना में व्यक्तित्व-व्यंजक निबन्धों का हास दिखायी देता है। लेखकों का ध्यान ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में सामग्री संचय की ओर अधिक था, आत्मव्यंजना की ओर कम। यद्यपि इस युग में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञानवर्द्धक साहित्य-समीक्षात्मक सभी प्रकार के निबन्ध लिखे गये, इस युग में विचारात्मक या प्रभावाभिव्यंजक निबन्ध भी लिखे गये जिनमें स्वतंत्र चिन्तन, भाव-प्रवणता और मधुरता को विशेष स्थान दिया गया है लेकिन साहित्य में जिस तरह की सूक्ष्मता, सर्जनशीलता, गहराई और अर्थरचना अपेक्षित होती है वैसी द्विवेदी युगीन निबन्धों में कम से कम मिलती है। इसीलिए जैसा कि डॉ. शुक्देव सिंह ने कहा है, "केवल साहित्य ढूँढने वाले पाठक का साहित्यकार को द्विवेदी युगीन निबन्ध काफी दूर तक निराश करते हैं। लेकिन जीवन की पूरी व्यापकता और हर तरह के अधूरेपन के साथ खोजने वाले इतिहास द्रष्टा को द्विवेदी युगीन निबन्ध पूरे परिचयात्मक विवरण के साथ प्रस्तावित और प्रचारित करते हुए दिखायी पड़ते हैं। अतः द्विवेदीयुगीन निबन्धों को प्रतिपादन की विविधताओं, अभिव्यक्ति की कोटियों और साहित्यिकता, तीनों दृष्टियों से देखे बिना उसके इतिहास को न सही ढंग से विश्लेषित किया जा सकता है और न ही साहित्यिक इतिहास को न्याय ही दिया जा सकता है।"^१ द्विवेदी युगीन निबन्धकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविन्द नारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त, माधवप्रसाद मिश्र, मिश्रबन्धु, सरदार पूर्ण सिंह, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्यामसुन्दर दास, पद्मसिंह शर्मा के अतिरिक्त गणेश शंकर विद्यार्थी, मन्नन द्विवेदी, यशोदानन्दन अखौरी, केशवप्रसाद सिंह आदि उल्लेखनीय हैं।

यद्यपि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के प्रारम्भिक निबन्ध भी इस युग में प्रकाशित हुए लेकिन शुक्लजी के साथ ही निबन्ध-साहित्य में द्विवेदी युग से भिन्न एक नये युग की शुरुआत हो जाती

* शोध-छात्रा, हिन्दी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)।

है जिसे शुक्ल युग कहा जाता है। शुक्ल युग द्विवेदी युग की तुलना में पूर्ण परिपक्वता का युग है और निबन्ध का समृद्धिकाल है।

द्विवेदी युगीन निबन्धों में राजनीतिक चेतना, भारतीय संस्कृति, सामाजिक जड़ता का विरोध, धार्मिक विषयों से सम्बद्धता, चरित-भिन्नता, मनोवैज्ञानिकता, अलोचना, अनुसंधान-परखता देखने को मिलती है। राजनीतिक चेतना की दृष्टि से लिखे गये निबन्धों में महावीर प्रसाद द्विवेदी का 'प्राचीन भारत की एक झलक',² गोविन्दराम काव्यतीर्थ का 'भारतीय पुरातन राजनीति',³ गंगासागर मिश्र का 'सम्राट अशोक का राज्य शासन', जनार्दन भट्ट का 'इतिहास क्या है?'⁴ के अतिरिक्त अन्य लेखकों के निबन्ध यथा 'स्वराज्य की योग्यता', 'स्वाधीनता और पराधीनता', 'स्वदेशी आन्दोलन', आदि निबन्ध उल्लेखनीय हैं। इन निबन्धों में राजनीतिक चेतना एक भारत के अतीत के गौरवगान से प्रकट की गयी है तो दूसरी ओर तत्कालीन दुर्दशा को उभार कर रखने के रूप में। भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाले निबन्धों में सेठ कन्हैयालाल पोद्दार का 'मातृभूमि की पूजा', पं. जगन्नाथ मिश्र का 'समाज सेवा', सम्पूर्णानन्द का 'किधर' उल्लेखनीय हैं। सामाजिक जड़ता का विरोध करने वाले निबन्धों में हरिहर प्रसाद शर्मा का 'वर्तमान शिक्षा का आदर्श' सत्येन्द्र का 'स्त्रियों की पराधीनता', गोपालशरण सिंह का 'दहेज की कुप्रथा से हानियाँ', मिश्रबन्धुओं का 'सम्मिलित हिन्दू कुटुम्ब प्रथा के दूषण', जनार्दन भट्ट का 'हिन्दुओं में बाल-विवाह', ईश्वरी प्रसाद शर्मा का 'दीपावली' उल्लेखनीय हैं। धार्मिक विषयों से सम्बद्धता रखने वाले निबन्धों में राधाकमल का 'पाश्चात्य देशों को हिन्दू धर्म का सन्देश', लक्ष्मीधर का 'बाइबिल में वेदान्त शिक्षा', भाई परमानन्द का 'हिन्दुत्व तथा हिन्दू धर्म', रूपनारायण पाण्डेय का 'धर्म', शीतला सहाय का 'धर्म की परिवर्तनशीलता' आदि उल्लेखनीय हैं। ये निबन्ध वस्तुतः केवल धर्म की व्याख्या नहीं करते बल्कि युक्तिपूर्ण विचार-स्तर का भी निर्माण करते हैं। इसीलिए इन निबन्धों को धार्मिक न कह कर वैचारिक कहना ज्यादा उपयुक्त है। चरिताश्रित निबन्धों में धार्मिक नेताओं, राजनेताओं और साहित्यकारों पर लिखे गये निबन्ध शामिल हैं। धार्मिक नेताओं पर लिखे गये निबन्धों में रामप्रसाद पाण्डेय का 'शंकराचार्य', रामानन्द सिंह का 'चैतन्य महाप्रभु' और लक्ष्मीधर सुमन का 'महात्मा बुद्धदेव' उल्लेखनीय हैं। राजनेताओं पर लिखे गये निबन्धों में छविनाथ पाण्डेय का 'देशबन्धु चितरंजनदास', शिवनन्द सिंह का 'गोपालकृष्ण गोखले', रामानुग्रह नारायण लाल का 'दादाभाई नौरोजी', श्यामनारायण राय का 'प्रफुल्लचंद्र राय' उल्लेखनीय हैं। साहित्यकारों पर लिखे गये निबन्धों में श्यामसुन्दर जोशी का 'जर्मनी का कवि सम्राट गेटे', लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय का 'डॉ. सैमुअल जानसन', ज्वाला प्रसाद शर्मा का 'मिर्जा गालिब' आदि उल्लेखनीय हैं। मनोवैज्ञानिक निबन्धों में लक्ष्मीधर बाजपेयी का 'सभ्यता', पाण्डेय लोचनप्रसाद शर्मा का 'क्रोध', कामता प्रसाद गुरु का 'शिष्टाचार', महावीर प्रसाद द्विवेदी के 'क्रोध' और 'लोभ' उल्लेखनीय हैं। आलोचनात्मक निबन्धों में कृष्णबिहारी मिश्र का 'भाषा की मधुरता का कविता पर प्रभाव', चन्द्रमोहन मिश्र का 'कविता का मर्म', महावीर प्रसाद द्विवेदी का 'कवि और कविता', कन्नौज का 'साहित्य क्या है' आदि उल्लेखनीय हैं। आलोचनात्मक निबन्धों में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के निबन्ध 'कविता क्या है' काव्य में प्राकृतिक दृश्य तथा 'चिंतामणि भाग २' के बहुत सारे निबन्ध और 'रस मीमांसा' के अधिकांश निबन्ध द्विवेदी युगीन आलोचनात्मक निबन्धों की प्रचलित दिशा के ही विभिन्न कोण हैं। उन्हें द्विवेदी युगीन मर्यादा के

बाहर रखने और अर्थ देने का कोई कारण नहीं है।^५ द्विवेदी युगीन अनुसंधानपरक निबन्धों में बाबूराव विष्णु पाड़कर का 'वारुचि का समय',^६ चन्द्रधर शर्मा गुलेरी का 'उलूक ध्वनि',^७ महावीर प्रसाद द्विवेदी का 'युधिष्ठिर का समय',^८ जगमोहन वर्मा का 'आर्यों का आदि स्थान',^९ आदि ऐसे निबन्ध हैं जिन्होंने अध्ययन, अन्वेषण की ऐसी नींव डाल दी है जिसका विकास आगे चलकर डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसंधानपरक और अन्वेषणमूलक निबन्धों में दिखायी देता है।

द्विवेदी युगीन निबन्धों की एक मूल प्रवृत्ति अतिवस्तुपरकता की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्विवेदी जी निबन्धों के माध्यम से राष्ट्र की सम्पूर्ण समस्याओं को एक साथ ही निपटा देना चाहते थे। वे निबन्धों को साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक बदलाव के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इस युग में समाज की हीनावस्था, आर्थिक विषमता, धार्मिक पतन और व्यापक राष्ट्रीय समस्याओं को दृष्टि में रखकर निबन्ध लिखे गये। इसलिए द्विवेदी युगीन निबन्धों का क्षितिज विस्तृत है और आयाम अनेक स्तरीय है। निबन्धों की संख्या अपरिमित है, निबन्धकारों की संख्या अधिक है। राजनीति, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, वाणिज्य, व्यवसाय, शिक्षा, साहित्य, कला, मनोविज्ञान और समीक्षा जैसे अनेकविध घटकों पर इस काल में पर्याप्त लिखा गया। शैलीगत विविधता भी बहुत है। फिर भी इस बात के होते हुए भी कि साहित्यिक विवेचना की दृष्टि से भी द्विवेदी युगीन निबन्धों की अलग पहचान है, विषय प्रधानता के कारण वे सच्चे निबन्धों की श्रेणी में नहीं आते, निबन्ध विद्या से सम्बन्धित अनुशासन और केन्द्रीयता उनमें शिथिल दिखायी पड़ती है लेकिन युग की व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना के अध्ययन की दृष्टि से उनको महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता।

संदर्भ

१. डॉ. शुकदेव सिंह, 'द्विवेदी युगीन निबन्ध साहित्य', पं. सुधाकर पाण्डेय (सम्पादित), हिन्दी साहित्य का वृहद् इतिहास, नवाँ भाग, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, पृ. १८०
२. 'सरस्वती', मार्च, १९११
३. वही, मार्च, १९१८
४. वही, जनवरी, १९१३
५. डॉ. शुकदेव सिंह, पूर्वोक्त, पृ. १९८
६. 'सरस्वती', मार्च, १९०९
७. वही, जून, १९१४
८. वही, जून, १९०५
९. 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका', फरवरी, १९१२

भोजपुरी लोकोक्तियों का समाजशास्त्र *

-डॉ. के. बी. सिंह*

भोजपुरी मागधी प्राकृत की अपभ्रंश की बोली है। काशिका और मल्लिका बोलियों का सान्द्र-रसायन है। जार्ज ग्रियर्सन ने इसे 'बिहारी हिन्दी' के अन्तर्गत रखा है। १८वीं सदी में भोजपुर एक प्रान्त था और इसके निवासियों और उनकी बोलियों को 'भोजपुरी' कहा जाने लगा। यह बोली भोजपुर प्रान्त के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बोली जाती थी और आज भी बोली जाती है अतः वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, मिर्जापुर, जौनपुर, बस्ती, पडरौना, मऊ आदि उत्तर प्रदेश के जनपद तथा पुराना शाहाबाद, आरा, बक्सर, रोहतास और कैमूर, पुराना सारन जनपद तथा चम्पादन के कुछ जिले बिहार के भू-भाग भोजपुरी भाषी क्षेत्र हैं। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग चार करोड़ है और यह ४३०० वर्गमील क्षेत्र में बोली जाती है। वस्तुतः भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार की भाषा है।

जैसे हर भाषा पहले बोली होती है, और जब उसका साहित्य रचा जाने लगता है तो वह मुकम्मल उस भाषा का साहित्य कहा जाता है। इस दृष्टि से भोजपुरी सम्प्रति भाषा है और इसका साहित्य भी लोक की आँच से समृद्ध हो रहा है। मूलतः भोजपुरी लोकभाषा है और इसका साहित्य लोकसाहित्य है। लोकसाहित्य किसी काल विशेष का न होकर युग-युग से चला आता हुआ वह साहित्य है जो हमें जन-जीवन के बीच प्रायः मौखिक रूप से ही प्राप्त होता रहा है।^{*} (अवधी ग्रन्थावली, सम्पादक, जगदीश पीयूष, खण्ड-१, लोकसाहित्य खण्ड)। अतः भोजपुरी लोकोक्तियाँ इस लोक की बोलियों में आज भी सुरक्षित हैं और मौखिक ही हैं। उन्हें संकलित करके लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया है और उसी प्रयास से कुछ चुनी गयी लोकोक्तियों के सामाजिक सन्दर्भ, परिप्रेक्ष्य को समझने का शोधपरक प्रयास है। इस प्रयास में लिखित सन्दर्भ तो नहीं मिले हैं, प्रत्युत ग्रामीण जनों एवं ग्रामीण स्त्रियों के सहयोग से इन्हें नोट किया गया है। सम्प्रति लेखक ने ३५० लोकोक्तियों का संग्रह किया उनमें से समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए उपयुक्त लोकोक्तियों को दृष्टान्त स्वरूप यथास्थान उल्लिखित किया गया है।

'लोकोक्ति' शब्द स्त्रीलिंग है। शब्दकोश के अनुसार 'लोक में प्रचलित कोई ऐसा चमत्कारपूर्ण वाक्य जिसमें कोई अनुभव या तथ्य की बात सुन्दर ढंग से और संक्षेप में कही गयी हो।' इसे 'कहावत' या 'मसल' भी कहा गया है। अंग्रेजी भाषा के 'प्रावर्ब' और 'मैक्सिम' इसके समरूप शब्द हैं। एक दूसरी परिभाषा भी दी गयी है जिसके अनुसार "साहित्य में एक अलंकार जिसमें

* विभागाध्यक्ष, हिन्दी, महाराणाप्रताप महाविद्यालय, मोहनिया, कैमूर (बिहार)।

कहावत के द्वारा कुछ चमत्कार लाया जाता है।^{१२} अतएव लोकोक्तियों से तात्पर्य ऐसे कथनों से है जो संवाद अथवा कथन में चमत्कार पैदा करें और संक्षेप में सम्पूर्ण प्रसंग को बाँध दे। लोकोक्तियों को लोकवाणी का अलंकार इस अर्थ में माना जा सकता है। लोकोक्तियों से तात्पर्य ऐसे कथनों से है जो सदियों से लोक-जीवन में आमजन की बीच धड़ल्ले से प्रयुक्त होते हैं। इन कथनों में साहित्यिक-आभिजात्य के विपरीत बिंदास अन्दाज में सहज किन्तु सटीक उक्तियाँ होती हैं। ये हमारी वक्त्रता को बल प्रदान करती हैं। ठेठ और देशज अन्दाज में कथन को पूर्णता प्रदान करती हैं।

प्रश्न उठता है कि हम 'लोक' किसे कहेंगे? 'लोक' से तात्पर्य उससे है, "जो उपेक्षित, उत्पीड़ित और शोषित है और अपने श्रम पर जीवित रहता है, वह चाहे महानगर में रहता हो या गाँव में 'लोक' है। वह जनसमुदाय जिसका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार आम जन से भिन्न है।"^{१३} 'अभावों से दुःखी, कठिन श्रम से थका हुआ और अनेक कठिनाइयों से परेशान वर्ग 'लोक' है (भरतमुनि)। लोक-बोली ही है जिसमें कोई भी अपने-आप को पूरा-पूरा व्यक्त कर पाता है। लोकोक्तियों में लोक का हृदय धड़कता मिल जायेगा। जहाँ तक 'सूक्तियों' का प्रश्न है ये अपने भाषिक-सौन्दर्य के कारण विशिष्ट हैं और लोकोक्तियों की ताकत उनका बिंदासपन है। सूक्तियाँ अपने मिजाज और तेवर में गम्भीर और 'नावक के वीर' सदृश होती हैं। इन्हें एक प्रकार से 'स्लोगन' कहा जा सकता है जब कि लोकोक्तियाँ अपने चमत्कृत करने वाली उक्तियों के कारण हास्य-व्यंग्योक्ति और कभी-कभी निन्दारस का आनन्द देती हैं। ये खिंची हुई प्रत्यंचाएँ हैं, जो कभी भी लक्ष्य या उद्भेदन कर सकती हैं। सूक्तियाँ सन्देश हैं और लोकोक्तियाँ सत्यांश। इनका सत्य व्यावहारिक सत्य है, दार्शनिक नहीं। लोकोक्ति सदा अपने मूल अर्थ से जुड़ी रहती है और पूर्णतया वाक्य में बँधी होती है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी वह वाक्य का अंग नहीं बन पाती। यह वाक्य में उपवाक्य के रूप में रहती है।

लोकोक्तियाँ चूँकि लोक-सम्पदा हैं, अतः ये किसी भी लोकभाषा में हो सकती हैं। इनके भाषागत स्वरूप में अन्तर होते हुए भी भावगत अर्थों में परस्पर मेल होता है। प्रस्तुत शोध-विषय के केन्द्र में 'भोजपुरी लोकोक्तियों का समाजशास्त्र' है अतः यहाँ भोजपुरी पर हम केन्द्रित हैं। भोजपुरी, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज है। गद्य और कविता के क्षेत्र में इसका साहित्य समृद्ध है। भोजपुरी गीत, नाटक और सिनेमा की लोकप्रियता आज किसी भी भाषा के लिए ईर्ष्या का कारण हो सकती है। इसके श्रोता, दर्शक और बोलने वाले करोड़ों में हैं। अब तो इसके ब्लॉग भी दुनिया में पहुँचने लगे हैं। न्यूज चैनलों का दौर शुरू है। महुआ, हमार टी. वी., गंगा और पुरवा नाम के चैनल दरपेश हैं। सायं ५.३५ बजे आकाशवाणी का गोरखपुर केन्द्र भोजपुरी में समाचार प्रसारित कर रहा है। www.pandijiblogspot.com नामक ब्लॉग पर आपको चिट्ठानामा पेश करते बबुआ प्रभाकर पाण्डेय मिलेंगे और विस्फोट डॉट काम पर पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। बबुआ प्रभाकर पाण्डेय के ब्लॉग पर मुहावरों और कहावतों का भरपूर रसपरिपाक का आस्वाद मिलेगा लेकिन भोजपुरी में। भोजपुरी लोकोक्तियों की सबसे बड़ी विशेषता है, इनकी सटीक सपाटबयानी, चमत्कृत करने वाली वक्रोक्ति। लोक जीवन के सभी सन्दर्भों यथा जाति-पाँति, सेक्स, अमीर-गरीब का

भेदाभेद, अंचल, मौसम, घर-संसार, स्त्री-पुरुष, स्त्री-स्त्री सम्बन्धों को इंगित करती, चिढ़ाती और उद्भेदन करती बेशुमार कहावतें यहाँ मिल जायेंगी। इन लोकोक्तियों का वाचिक महत्त्व है। लोग-बाग ठेठ जिन्दगी में बड़ी सलीके से और बहुधा बड़े फूहड़ ढंग से भी इसका विस्फोट करते हैं। इनका प्रभाव बड़ा मौजू होता है और श्रोता आवक् और निरुत्तर हो जाता है। बोली के रूप में भोजपुरी अपनी मिठास के लिए जानी जाती है और इसकी लोकोक्तियाँ अपने बिंदासपन के कारण आज भी लोक में जिन्दा हैं। यहाँ कुछ चुनिन्दा लोकोक्तियाँ प्रस्तुत की जा रही हैं जो भोजपुरी समाज में सदियों से प्रचलित हैं—सवर्ण (ब्राह्मण) वर्चस्व की खिल्ली उड़ाती है :—

१. मिसिर करे घिसिर-पिसिर, बायां हाथ कटारी।
वाणी बिलरिया भागल जाले, मिसिर के महतारी॥
२. बाभन नाचे, धोबी तमाशा देखे।
३. पंडी जी पंडी जी पाँव खटिया, पंडी जी मरी गइले उठाव खटिया।
४. बाभन घरे जाई, उपासे रहि जाई।
५. करवा कोहार के, घी जजमान के, पंडी जी करे—स्वाहा—स्वाहा।
६. आन क आटा, आन क घी, भोग लगावें बाबा जी।
७. जवन पंडित क पतरा, तवन पंडिताईन क अचरा।
८. बाभन, ठाकुर, नाऊ, आपन जात देख गुराऊ।
९. बाभन क लइका मूर नहीं परे।
१०. विप्रा टहलुआ, चीक धन, अरु बेटी क बाढ़।
ताहू पर धन ना घटे, त करे बड़न से मारि॥

इन लोकोक्तियों से स्पष्ट है कि लोक जीवन में ब्राह्मण बोझ बन गया है। लोग उनका उपहास, तिरस्कार बखूबी करने लगे हैं। उनका आदर आमजन नहीं करता अपितु निरादर की प्रावृत्ति अधिक है। कारण स्पष्ट है कि यह वर्ग लोभी, स्वार्थी और दम्भी रहा है। परिश्रम करके खाना इनका कार्य नहीं था अपितु तीन-तिकड़म से लोगों को गुमराह कर अपनी गोटी लाल करनी थी। श्रम से अर्जित कामगारों की गाढ़ी कमाई को धर्म के पाखण्ड में फँसाकर ऐंठ लेना था। शोषित और पीड़ित कामगार धर्म के इन ठेकेदारों से तंग तो था, किन्तु विद्रोही नहीं बना था। वह उन्हें किसी तरह ढो रहा था। यही मानसिकता भोजपुरी समाज के लोक की रही है। पिछड़ी संवेदना और द्वन्द्वहीन अनुभव उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वे परम्पराओं और रुढ़ियों के गुलाम थे। कबीर, जैसे क्रान्तिकारी समाज सुधारक की क्रान्तिकारी चेतना उनमें जगह तो बना रही थी, किन्तु द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण को अभी विकसित होना था।

इस प्रकार कुछ ऐसी भी लोकोक्तियाँ हैं जो हमारी जातिगत-संरचना की सूचना देती हैं और पिछड़ी, अतिपिछड़ी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सामाजिक स्थिति का पता देती हैं। यथा—

१. अहीरे घरे खाय ऊहो बिना घी के।
२. धोबी क कुक्कुर न घरि के न घाट के।
३. नाई के बारात में जने जने ठाकुर।
४. सौ सोनार के एक लोहर।
५. बेटी चमारे क, नाम लखरनिया।
६. धोबिन क बेटी, न नइहरे सुख न ससुरे।
७. मँगले बनिया गुर न दे, मुँह मलियवले भेली दे।
८. नई धोबिनिया आवे ले, लुगरी सबुनावे ले।
९. जोलहा क बेगरिहा पठान।
१०. राजा के पता नाहीं, मुसहर बन बाँटि लिहले।
११. गाँव क तेली, कोस क काना, सवा कोस पर गेरुआ बाना।
१२. नऊवा के देखि के बार बढ़ि जाला।

प्रस्तुत लोकोक्तियाँ तत्कालीन समाज में अहीर, नाई, धोबी, सोनार, लोहार, चमार, तेली, मुसहर, जोलहा, पठान, बनिया आदि जातियों से सन्दर्भित हैं। जाहिर है कि लोक में इनकी स्वीकार्यता अथवा सम्मान नहीं था। यह समाज का तिरस्कृत और उपेक्षित वर्ग है। दैनन्दिन के लोक जीवन में उन्हें कोई महत्त्व नहीं था क्योंकि ये परजुनिया (परजीवी) थे, भूमिहीन थे। सामन्त वर्ग की सेवा, बेगार करके ही ये अपनी जीविका चलाते थे। इनमें बहुतरे तो ऐसे थे जो अछूत थे और बहुत ऐसे जो अछूत तो नहीं थे किन्तु शोषित और पीड़ित थे। उन्हें अपनी खुदमुख्तारी करने का हक नहीं था। 'बिभुक्षितः किं न करोति पापं' वाली स्थिति थी। ऐसे में सवर्ण समाज अपने वर्चस्व को बनाये रखने के लिए अहर्निश इनकी जातीय अहं पर चोट करता था और ये इतने परवश और हीन थे कि उनकी बोली, ठिठोली, व्यंग्य और उपहास को सह लेते थे। आज भले ही इनकी आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया हो किन्तु सामाजिक स्वीकार्यता अभी भी पूर्ववत् है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की चुनावी प्रक्रिया के कारण जातीय गोलबन्दी आज की राजनीति का सच है। ऐसे में समतावादी समाज, जाति और वर्गविहीन समाज की स्थापना का आदर्श अभी दूर की कौड़ी लाने सदृश है। लोक चेतना का बुनियादी सच यही है। साम्यवादी विचारधारा के अन्तर्गत यह मान्य है कि जब मनुष्य की आर्थिक स्थिति में उन्नति आयेगी, यांत्रिकता और वैज्ञानिक तकनीक का संजाल बिछेगा तो कामगारों की गोलबन्दी तेज होगी और चूँकि सर्वहारा वर्ग का बड़ा भाग होने के कारण उनकी भाईबन्दी का दायरा भी बढ़ेगा। किन्तु हम देखते हैं कि भारतीय लोक समाज में जातिपरक अवधारणा की जड़ें बड़ी गहरी हैं। वर्ग के स्तर पर बराबरी होते हुए भी हम वर्ण के संकीर्ण दायरे को नहीं तोड़ पाये हैं। आज जातिसूचक शब्द 'चमार' को 'चमार' कहने

पर भले एस. सी. एस. टी. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध का प्रावधान हो किन्तु लोकोक्तियों का हम क्या करेंगे?

ऐसे तो इन लोकोक्तियों का सन्दर्भ पूरा लोक है किन्तु इनका प्रचलन हमारी आधी आबादी स्त्री-समाज में अधिक है। यही समाज इसका प्रस्तोता, वक्ता और प्रयोगकर्ता है। लोकोक्तियाँ हैं कि इन्हीं के मुँह से इन्हीं की चुगली करती हैं और इनकी मानसिक बुनावट की पोल खोलती हैं। यथा—

१. माई लौड़ी, धिया ओढ़े पिछौरी।
 २. पैसा न कौड़ी, बजार जाले छौड़ी।
 ३. जेकर पिया माने, उहे सोहागन।
 ४. मेहरी क मारल, घर क उपास, नाही कहेल जाला।
 ५. जेठ-जेठानी बइठल रहें, भवह पढ़े पतरा।
 ६. अइलीं न गइलीं कवन बो कहइलीं।
 ७. न सास न ननद घर अपने अनन्द।
 ८. रांड खुशी जब सबकर मरे।
 ९. अपन सास के सास नाही, धोबिन के कहे आ बैठा।
 १०. सास छोहइली त गोइंठा से आंस पोछे।
 ११. सइयां के अर्जन, भइया का नाम, पहिर-ओढ़ि के सासुर जायं।
 १२. अइसन रहती सास त, आन गिरावत आंस।
 १३. माई कहे धिया-धिया, धिया कहे छिया-छिया।
 १४. हम अइलीं मो जानि, तू सुतेली गोड़ तानि।
 १५. जा ए बचिया! जाती होई, बहुरती नाहिं।
 १६. माई निहारे पेटरी, मेहर निहारे गठरी।
 १७. घर के छिनरी, बहरे छिनरी, छिनरी पड़ल नाम।
 १८. कानी ससुई नीक, सुघरकी गोतिनी नीक नाहीं।
 १९. हम त बनाई तोहे पटरानी, अपने करम तू भरेलू पानी।
 २०. नइहर खइलीं, सासुर खइलीं, ठूठ कटिलीं पीयरे।
- उहे जगदीपा आईल बांटी, हाथे ले के मूसर॥

भोजपुरी लोकोक्तियाँ हमारे कथन में 'हाथे ले के मूसर' सदृश पूरे भदेसपन के साथ खड़ी मिलेंगी। जहाँ तक इनके माध्यम से हम भोजपुरी समाज के समाजशास्त्र को समझ पाये हैं, वह

यह कि स्त्रियों की प्रकृति, दशा और दिशा, दुर्दशा, मनोदशा, सोच की गहन पड़ताल इन लोकोक्तियों में भरपूर है। लोकोक्तियाँ किसी एक व्यक्ति अथवा समूह द्वारा एक समय और स्थान में रची हुई नहीं होतीं। कोई न तो इनका रचनाकार है, न नायक, अपितु सब कुछ लोक का है और लोक में ही इनकी व्याप्ति है। जब कोई वारदात एक से अधिक बार है कमोवेश उसी रूप में घटती है तो वह लोकमान्य हो जाती है और तद्रूप काहवतें चल पड़ती हैं। चूँकि यह सब कुछ मौखिक है, लोक ही वक्ता, भोक्ता और दृष्टा है अतः यह अर्थालंकार के सौन्दर्य को बढ़ा देती हैं। वक्तव्य अर्थवान हो जाता है, दृष्टान्त बन जाता है। भोजपुरी समाज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा समाज है। यह सामन्ती और खेतिहर समाज है। इसकी जड़ें कृषि और ग्राम में हैं। उसमें भी स्त्रियों की स्थिति नितान्त स्थानिक है। स्त्रियों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, निन्दा, संशय और कुण्ठाभाव अधिक है। वे ज्यादा आत्मकेन्द्रित हैं। स्त्रीत्व का सांझापन तो है किन्तु सहअस्तित्व और सहयोग की भावना की कमी है। स्त्रियों में झूठ, छल-छद्म, आत्मप्रदर्शन और एक-दूसरे की खाट खड़ी कर देने की भावनात्मक प्रवृत्ति होती है अतः उनका चरित्र संदिग्ध और संशयग्रस्त हो जाता है। जहाँ सास-बहू और ननद के रिश्ते तनावपूर्ण, पति-पत्नी के स्वार्थपूर्ण हैं वहीं माँ-बेटे का रिश्ता उदात्त और वात्सल्यपूर्ण है। एक ही स्त्री विभिन्न रूपों में अलग-अलग किरदार निभाती है। इस प्रकार लोकोक्तियाँ इनके स्थायी भाव—ईर्ष्या और प्रिय रस—निन्दारस का मौखिक दस्तावेज हैं।

‘भाषा और सामाजिक अस्मिता’ शीर्षक अपने निबन्ध में श्री रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने भाषा को सामाजिक वस्तु कहा है। उनके अनुसार, “भाषा मानसिक संकल्पना के साथ-साथ एक सामाजिक यथार्थ भी है, व्याकरणिक इकाई होने के साथ-साथ वह संस्थागत प्रतीक भी है और सम्प्रेषण का अन्यतम उपकरण होने के साथ-साथ वह हमारी सामाजिक अस्मिता का एक सशक्त माध्यम भी है।”^{१०} इस दृष्टि से देखने पर भोजपुरी भाषा में आम जन की भाषा में प्रयुक्त लोकोक्तियों का सामाजिक अस्मिता की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। लोकोक्तियों की रचना सामाजिक आवश्यकताओं के कारण हुई और सामाजिक अनुशासन एवं नियंत्रण के लिए इनका आज भी महत्त्व बना हुआ है। अतः इन्हें लिपिबद्ध करने की महती आवश्यकता है।

भोजपुरी लोकोक्तियों का महत्त्व मात्र इसलिए नहीं है कि ये लोक सम्पदा हैं, वाणी के अलंकार हैं अपितु इसलिए भी है कि ये भोजपुरी समाज के अतीत की उपलब्धियों और असफलताओं का सामूहिक स्मृतिकोष हैं। उनकी जातीय और सामाजिक-अस्मिता की सुरक्षा का वचन देती हैं। अतः अतीत की समस्त फुसफुसाहटों, वर्जनाओं, चीखों, क्रन्दन, प्यार और नफरतों को स्वर देने के लिए लेखक को लोकोक्तियों की जरूरत पड़ेगी, जड़ों की खोज के लिए रचनाकार को इनकी जरूरत पड़ेगी, समाज और संस्कृति की बहुरंगी धागों को जानने-समझने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। अतः आज इन्हें साहित्य-सम्पदा के रूप में स्वीकार अथवा अंगीकार करने की अतिशय आवश्यकता है। भोजपुरी ग्रासरूट-जनतंत्र की भाषा है और लोकोक्तियाँ इसकी मुकम्मल उत्पाद हैं। ‘आरा जिला घर क, हमरा कवन डर बा’, भोजपुरी कहावतों का असली हाल मोकाम है।

लोकोक्तियों का प्रचलन ग्राम समाज में अधिक है। उनमें भी ग्रामीण स्त्रियों का योगदान सर्वाधिक है। स्त्रियाँ निरक्षर, अनपढ़ होकर भी गहरी समझ वाली हैं अतः लोकोक्तियाँ उनके बीच आज भी जिन्दा हैं। लोक अनुभवों से उन्होंने लोकोक्तियों के प्रयोग की कला सीख ली है। यही कारण है कि आज भी प्रौढ़ और मुखर स्त्रियाँ धड़ल्ले से अपने तरकश से लोकोक्तियों के बाण छोड़ने से बाज नहीं आतीं। परिवार के नाजुक रिश्तों, जातीय अस्मिता के प्रश्नों, ऊँच-नीच, अमीर-गरीब के भेदापभेदों को हम उनकी दृष्टि से ओझल नहीं कर पाते। अतएव, लोकोक्तियाँ एक प्रकार से लोक-रीतियों, परम्पराओं, दृष्टान्तों के वाहक का कार्य करती हैं।

हिन्दी लेखन में मुहावरों का प्रयोग खूब मिलता है। प्रेमचन्द की कहानियाँ तो इनका खजाना हैं। किन्तु लोकोक्तियों के प्रयोग से सभी लेखकों ने किनारा किया है। कारण शायद यह होगा कि लोकोक्तियों में फूहड़पन, भदेसपन, बिंदासपन अधिक है और रचनाकारों की प्रवृत्ति अभिजात होती है अतः वे इनसे परहेज करते रहे हैं। शायद उत्तर आधुनिकता बोध के रचनाकार डॉ. सुधीश पचौरी सदृश कोई लेखक पैदा हो जो अपनी बिंदास शैली में इनकी सुधि ले। चूँकि स्थानिकता का आग्रह इनमें है अतः लोकोक्तियाँ उत्तर आधुनिक लेखक के लिए ग्राह्य हो सकती है। 'साहित्य स्थापना नहीं, जीवन का गान है।'⁴ इस दृष्टि से देखें तो लोकोक्तियाँ जीवन-जगत की यथार्थ से हमें मुकम्मल जोड़ती हैं। इनके द्वारा हम लोक-जीवन की वास्तविकताओं से रू-ब-रू होते हैं। हमें लोकोक्तियाँ लोक के स्याह सच का पता देती हैं। अतः जब तक लोक रहेगा, लोकोक्तियाँ रहेंगी ही।

संदर्भ

१. अवधी ग्रन्थावली, सम्पादक, जगदीश पीयूष, खण्ड-१, लोक साहित्य खण्ड।
२. लोकभारती प्रामाणिक हिन्दी कोश, सम्पादक, आचार्य रामचन्द्र वर्मा; संशोधन-सम्पादन-डॉ. बदरीनाथ कपूर, संस्करण १९९७, पृ. ७३९।
३. कथा, सम्पादक-मार्कण्डेय, पृ. २५२, लेखक-महेशचन्द्र पुनेठा।
४. हिन्दी भाषा का समाजशास्त्र, सम्पादक-डॉ. अमरनाथ, लेखक-रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, पृ. ३४।
५. 'हिन्दुस्तान' (रविवार), डॉ. सुधीश पचौरी, 'बिंदास' कालम, पृ. १२, अंक २८ दिसम्बर, २००८, वाराणसी संस्करण।

सत्य-अहिंसा और गांधी

—डॉ. रमाकान्त सिंह*

प्रस्तावना

गांधी के समस्त विचारों और क्रियाकलापों का मूल आधार सत्य और अहिंसा है। गांधी मूलतः एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे और धर्म में उनकी आस्था थी। उनके अनुसार धर्म का अर्थ यह विश्वास है कि विश्व व्यवस्थित रूप से नैतिक नियमों के अनुसार शासित हो रहा है। एक नैतिक निरपेक्षतावादी होने के नाते वे केन्द्रीय नैतिक मूल्यों—सत्य और अहिंसा को प्राथमिक मानते थे। उनकी विचारधारा में सर्वोच्च महत्व सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों को दिया गया है। सत्य और अहिंसा की सर्वोत्कृष्टता गांधी की कोई मौलिक बात नहीं थी लेकिन उन्होंने सत्य और अहिंसा के संकुचित अर्थ को ग्रहण नहीं किया। उनके लिए सत्य असत्य न होने से अधिक है। इसी तरह अहिंसा हिंसा न होने से अधिक है। गांधी ने सत्य और अहिंसा का व्यापक अर्थ लिया है और उसका व्यापक रूप में प्रयोग भी किया है। गांधी के लिए सत्य अन्तरात्मा की आवाज है बल्कि उससे भी बढ़कर, परमात्मा है, ब्रह्म है। सत्य का अन्वेषण समस्त धर्मों का लक्ष्य है। सत्य सापेक्ष अथवा परिस्थितिजन्य नहीं है। यह सार्वभौमिक है, निरपेक्ष है। किन्तु सत्य को तभी ग्रहण किया जा सकता है जब अन्तरात्मा शुद्ध हो। गांधी के लिए अहिंसा मानव का प्राकृतिक गुण है। मनुष्य स्वभावतः अहिंसा प्रिय है। अहिंसा प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। यह विशुद्ध प्रेम है। गांधी के अनुसार अहिंसा उनके धर्म और कर्म दोनों का अन्तिम सिद्धान्त है। सत्य और अहिंसा अविभाज्य हैं। दोनों एकरूप हैं। दूसरे को किसी भी प्रकार का कष्ट देना सत्य का उल्लंघन है, यह ईश्वर की सत्ता का उल्लंघन है। यह जीवन की एकता और पवित्रता के विरुद्ध है। अहिंसा सत्य है, सत्य के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। गांधी के लिए सत्य और अहिंसा आचरण भी है और आचरण का सिद्धान्त भी। यह साधन भी है और साध्य भी। प्रस्तुत शोध-पत्र में गांधी के सत्य-अहिंसा विषयक विचारों का विवेचन और परीक्षण करने का प्रयास किया गया है।

सत्य क्या है?

सत्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर गांधी ने स्वयं एक सूत्र वाक्य में दिया है, “सत्य वही है जो हमारी अन्तरात्मा कहे। निर्मल अन्तरात्मा को जिस समय जो सही प्रतीत हो वही सत्य है। उस पर दृढ़ रहने से शुद्ध सत्य की प्राप्ति हो जाती है।” गीता के अध्याय १७ श्लोक २६ में

* रीडर एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, पं. कमलापति त्रिपाठी राजकीय स्नातकर महाविद्यालय, चन्दौली (उत्तर प्रदेश)।

सत्य के तीन रूपों की चर्चा की गयी है, 'सद्भावे साधुभावे—च सदित्येतत्प्रभुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छन्दः पार्थमुज्यते॥' ये तीन हैं—अस्तित्वात्मक रूप, शिवरूप और सत्कर्म। सत्य का शाब्दिक अर्थ है, 'सत्' अर्थात् जिसकी सत्ता हो 'जो है'। सत्य का यह अस्तित्वात्मक रूप है। परन्तु सत्य केवल 'है' ही नहीं है बल्कि 'क्या होना चाहिए' भी है। यह सत्य का शिव रूप है। सत्य का तीसरा रूप है 'सत्कर्म', यह सत्य का व्यवहारात्मक रूप है। गांधी के सत्य से उसके आदर्शात्मक रूप अर्थात् शिव रूप और उसके व्यवहारात्मक रूप अर्थात् सत्कर्म (कर्म में सत्य) दोनों का बोध होता है। मन-वाणी और कर्म में एकरूपता का होना ही सत्य है। बुद्धि और हृदय विचार के दो आयाम हैं। गांधी के सत्य में हृदय का सर्वोच्च स्थान है। सृष्टि का, सर्वजीवों का और मानव जीवन की एकता का अपने विचार, वाणी और कर्म में आत्म साक्षात्कार करना ही गांधी का सत्य है। यही ईश्वर के साक्षात् दर्शन का भी अर्थ है। गांधी का कहना है, "मेरे लिए सत्य सर्वोपरि सिद्धान्त है जिसमें दूसरे अनेक सिद्धान्तों का समावेश हो जाता है। यह सत्य वाणी का स्थूल सत्य ही नहीं है परन्तु विचार का सत्य भी है और न केवल हमारी कल्पना का सत्य है बल्कि स्वतंत्र चिरस्थायी सत्य है, यानी परमेश्वर है। मेरा विश्वास दिनोदिन बढ़ रहा है कि वही सत्य है और सब कुछ मिथ्या है।"^१

यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि अन्तरात्मा की आवाज ही सत्य है तो फिर एक के लिए जो सत्य है वह दूसरे के लिए असत्य हो सकता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अन्तरात्मा की आवाज भिन्न-भिन्न होती है। गांधी का उत्तर है कि सत्य की खोज में भिन्नता अवश्यम्भावी है किन्तु अन्तरात्मा की आवाज सुनने के लिए दो शर्तें अनिवार्य हैं—आध्यात्मिक अनुशासन और अहिंसात्मक दृष्टि। आध्यात्मिक अनुशासन का अर्थ है यम-नियम आदि का पालन और अहिंसात्मक दृष्टि का अर्थ है दूसरे के विचारों के प्रति सहिष्णुता की भावना। इन दो शर्तों के अभाव में सत्य की खोज में काफी भ्रान्ति या उलझन पैदा हो सकती है। इसी क्रम में गांधी सत्य के दो भेद करते हैं—सापेक्ष तथा निरपेक्ष। अपनी कल्पना या विचार का सत्य सापेक्ष सत्य है। परन्तु जो निरपेक्ष सत्य है वह शुद्ध है, चिरस्थायी है, अनन्त है, अखण्ड है और वह परमेश्वर है। मनुष्य एक सीमित प्राणी है, इसलिए वह पूर्ण या निरपेक्ष सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता वह तो केवल उसकी झलक मात्र पाता है। गांधी निरपेक्ष सत्य को ही पूर्ण और वास्तविक सत्य मानते हैं लेकिन उनका कहना है कि जब तक पूर्ण या निरपेक्ष सत्य का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक सापेक्ष सत्य को ही आदर्श मानना होगा क्योंकि सापेक्ष सत्य परम सत्य का तात्कालिक रूप है।

गांधी का मानना है कि पूर्ण या निरपेक्ष सत्य का साक्षात्कार तार्किक पटुता या प्रत्ययात्मक बोध के द्वारा नहीं किया जा सकता बल्कि इसके लिए आध्यात्मिक अनुभूति की आवश्यकता है। गांधी के लिए आध्यात्मिक अनुभूति ईश्वरानुभूति, धर्मानुभूति और सत्यानुभूति एक ही चीज हैं।^२ इससे स्पष्ट है कि पूर्ण सत्य या मूलभूत सत्य में उनकी आस्था तर्कों एवं बाह्यनिरीक्षण से नहीं बल्कि आध्यात्मिक साक्षात्कार तथा अन्तःज्ञान या अन्तर्प्रज्ञा से उत्पन्न हुई थी। उनकी सत्य प्राप्ति की प्रक्रिया अन्तर्ज्ञानात्मक है। उनकी ज्ञान मीमांसा में परिस्थितियों, तथ्यों और आँकड़ों की उपेक्षा

नहीं है लेकिन उनका मूल्यांकन गहन अनुभूति के आधार पर होता है। उनके मत में मनुष्य की अपनी अनुभूति ही सत्य ज्ञान की वास्तविक कसौटी है। गांधी का कथन है, “मेरे विचार चिन्तनों पर इतिहास का प्रभाव बहुत थोड़ा है। मेरे कार्य प्रणाली की नींव अनुभव पर है अर्थात् मेरे सभी निर्णय अपनी व्यक्तिगत अनुभूति से प्राप्त हैं।”³ अनुभूति के साथ जिसका सामन्जस्य या संगति हो, वही सत्य होता है। इसलिए गांधी की अन्तरात्मा की आवाज आधारहीन नहीं है। उनकी आवाज में मानवता की आवाज की प्रतिध्वनि है जिसे वह जनता की फरियाद या दुहाई की संज्ञा देते थे। सत्कर्म की प्रेरणा भी उसी से मिलती थी। वे अपनी अन्तरात्मा की आवाज की ऋषियों-मुनियों की सार्वभौम अनुभूति के साथ तादात्म्य भी स्थापित कर लेते थे। इसमें उनकी प्रामाणिकता का भी बोध होता था और वे यह निष्कर्ष निकालने में सफल हो जाते थे कि ईश्वर ही सत्य है और वही अन्त्य तथा सर्वसामर्थ्यवान सत्ता है, विश्व की वस्तुओं तथा गतिविधियों का वही नियामक है। गांधी की इस सत्य मीमांसा से दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि मनुष्य को अपने अन्दर की रोशनी में ही सत्य का अनुसंधान करना चाहिए और जो सत्य उसे जान पड़े उसी के अनुसार चलना उसका दोषरहित कर्तव्य है। दूसरे, अहिंसा ही सत्य को प्राप्त करने का अव्यर्थ माध्यम है, साधन है।

अहिंसा क्या है?

प्रश्न उठता है अहिंसा क्या है? गांधी के मत में अहिंसा का अर्थ है अनन्त प्रेम और अनन्त प्रेम का अर्थ है कष्ट सहने की अद्भुत क्षमता। गांधी ने लिखा है “अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। वह तो विशुद्ध प्रेम है।”⁴ गांधी का पातंजलि के सूत्र ‘अहिंसा प्रतिष्ठायाम् तत्सन्निधौ वैरत्यागः’ अर्थात् अहिंसा के समक्ष वैर समाप्त हो जाता है, में अटूट विश्वास था।⁵ यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे सोचते थे कि यदि यहूदी सक्रिय अहिंसा का मार्ग अपनायें तो जर्मनी के कठोर-से-कठोर हृदय पिघल सकते हैं। गांधी के मत में अहिंसा आत्मबल या हमारी भीतर बसे हुए अन्तर्धामी की शक्ति है। अपूर्ण मनुष्य उस शक्ति को सम्पूर्ण रूप से नहीं पहचान सकता। परन्तु उसका अतिसूक्ष्म अंश भी जब हमारे भीतर सक्रिय हो जाता है तो वह चमत्कार कर दिखाता है। अहिंसा अपनी क्रिया में रेडियम की तरह है। उसकी अतिसूक्ष्म मात्रा भी जब शरीर में बढ़े किसी हानिकारक भाग में जमा कर रख दी जाती है तो लगातार चुपके-चुपके और अविशान्त रूप में वह काम करती रहती है और अन्त में सारे रोग ग्रस्त भाग को स्वस्थ बना देती है। वह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। आत्मा मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। उसका अस्तित्व भौतिक शरीर पर निर्भर नहीं करता। वह देशकाल से परे है। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता जाता है कि यदि अहिंसा एक स्थान में स्थापित हो जाती है तो उसका प्रभाव सर्वत्र फैल जाता है।⁶ गांधी की मान्यता थी कि इतिहास अहिंसा की श्रेष्ठता की उत्तरोत्तर पुष्टि कर रहा है। उनका कथन है, “मेरा दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य स्वभावतः ऊँचा उठ रहा है।”⁷ मानव समाज का इतिहास बताता है कि मनुष्य मूल रूप से अहिंसाप्रिय है और उसकी इस अहिंसक प्रवृत्ति के कारण ही मानव जाति निरन्तर बढ़ती

जा रही है। इस तरह अहिंसा मानव का प्राकृतिक गुण है। मनुष्य कभी-कभी परिस्थितिवश हिंसावान बन जाता है लेकिन मानवीय जीवन का सर्वोच्च सिद्धान्त तो अहिंसा ही है। गांधी इसको धर्म का सिद्धान्त कहते हैं, कर्म का सिद्धान्त कहते हैं।

अहिंसा के तीन रूप होते हैं—जाग्रत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और कायरों की अहिंसा। जाग्रत अहिंसा, अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप है। अहिंसा के इस रूप को किसी आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण अपनाया जाता है। यह वीरों की अहिंसा है। इससे पूर्ण व्यक्ति क्षमतावान होते हुए भी हिंसा का इच्छुक नहीं होता। औचित्यपूर्ण अहिंसा जीवन के किसी क्षेत्र में कोई आवश्यकता पड़ने पर औचित्यानुसार एक नीति के रूप में अपनायी जाती है। यह एक तरह का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। इसे नैतिक विश्वास के कारण नहीं बल्कि आवश्यकता के कारण अपनाया जाता है। कायरों की अहिंसा निर्बल और कमजोर व्यक्ति की मजबूरी की अहिंसा होती है। गांधी की अहिंसा जाग्रत अहिंसा है। कायरों की अहिंसा को वे अहिंसा मानते ही नहीं हैं। उनका कथन है कि, “कायरता और अहिंसा पानी और आग की भाँति एक साथ रह ही नहीं सकते।” कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो गांधी हिंसा को स्वीकार करते हैं। उनके मत में “यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है और हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण पहने तो इससे हिंसक होना अधिक अच्छा है।” अहिंसा पाप के सामने समर्पण का नाम नहीं है। न ही अपनी दुर्बलता को छिपाने का ढोंग अहिंसा है। यह उस वीर आत्मा की दृढ़ शक्ति की परिचायक है जो किसी जीवित प्राणी को इसलिए कष्ट नहीं पहुँचाता कि हर प्राणी तत्त्वतः आत्मा है और स्वयं उसके साथ एक रूप है। यह सर्वोच्च नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक है। इस शक्ति के विकास के लिए आवश्यक है आत्मशक्ति में आस्था और मानवमात्र के प्रति आत्मीय दृष्टि। गांधी ने अहिंसा की सफलता के लिए दो शर्तें मानी हैं— (१) शरीर से भिन्न आत्मा के अस्तित्व में और उसके अविनाशी होने में विश्वास, (२) ईश्वर के प्रति सजीव श्रद्धा।^६ गांधी मनुष्य की जाग्रत आत्मचेतना को अहिंसा की शक्ति का प्रमुख स्रोत मानते थे और उस शक्ति का व्यक्ति से समाज तक विस्तार कैसे हो, इस दृष्टि से विविध प्रयोग करते थे। गांधी की अहिंसा एक भाव-बोध मात्र नहीं थी। अहिंसा की बुनियाद पर नये मानव, नये समाज, नये राष्ट्र, नये विश्व तक के निर्माण की उनकी अवधारण स्पष्ट थी।^७ मनुष्य की चेतन शक्ति को उन्होंने पाशविक शक्ति की विरोधी अहिंसक शक्ति के रूप में संगठित किया। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि ‘अणु अस्त्रों के उद्भव के बाद तो मैदान में अहिंसा ही एकमात्र शस्त्र बाकी रह गया है। यही एक ऐसी वस्तु है जिसे अणुबम नष्ट नहीं कर सकता।’

उपसंहार

गांधी के लिए सत्य और अहिंसा एक-दूसरे से अभिभाज्य हैं। उनके लिए सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा उत्कट प्रेम की अभिव्यक्ति। उनका कहना था कि मैं जो अपने छोटे-छोटे और बड़े-बड़े कहे जाने वाले कार्य करता आया हूँ उनकी जब छानबीन करता हूँ तो मुझे यह कहना अनुचित नहीं मालूम होता कि वे अन्तरात्मा की प्रेरणा के ही फल हैं। अन्तरात्मा की प्रेरणा पर कार्य करने

वाला व्यक्ति परमसत्य और इसीलिए अहिंसा को भी मानने वाला होता है। क्योंकि सत्य की खोज के मूल में अहिंसा व्याप्त है। जब तक यह अहिंसा हाथ न लगेगी तब तक सत्य हाथ नहीं आ सकता। सत्य और अहिंसा को मानने वाले के लिए मनुष्य के प्रति वैर या उसके साथ द्वन्द्व के लिए कोई स्थान नहीं होता।^{१०} इस आस्था भाव के कारण ही स्वाभाविक तौर पर गांधी ने जुल्मी साम्राज्य और उस साम्राज्य के संचालक मनुष्यों को अलग-अलग नजरिये से देखा। पाप और पापी की तरह उनके दो भिन्न अस्तित्व को सामने रखा। उनके मत में किसी तंत्र या प्रणाली का विरोध तो अच्छा है लेकिन उसके संचालक का विरोध करना मानो खुद अपना ही विरोध करना है। मानव स्वभाव और आत्मा की एकता में अपनी आस्था को कायम रखते हुए जड़ व्यवस्था तंत्र और संवेदनशील मनुष्य दोनों को वे अलग-अलग मानते थे। गांधी ने आजीवन व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सत्य-अहिंसा का प्रयोग किया। चाहे वह प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के निर्देश पर भी नकल न करने और सजा भुगत लेने की घटना हो या सत्याग्रह के रूप में सत्य और अहिंसा की सामूहिक शक्ति का विकास और उपवास की प्रक्रिया, जीवन के हर क्षेत्र में वे सत्य और अहिंसा पर अडिग रहे। सत्य और अहिंसा उनके लिए शस्त्र भी था और शास्त्र भी। अहिंसक समाज या रामराज्य की उनकी धारणा सत्य-अहिंसा पर आधारित है। यहाँ तक कि उनकी अर्थनीति और आर्थिक सिद्धान्त भी सत्य-अहिंसा के सिद्धान्तों पर अवलम्बित है।^{११} किन्तु गांधी की सत्य-अहिंसा की यात्रा अनन्त है। यह सर्वोच्च साध्य है। उनकी मान्यता है कि सत्य और अहिंसा का पूर्ण साक्षात्कार मनुष्य के एक जन्म में सिद्ध होने वाला नहीं है। यह तो कई जन्मों के अथक प्रयास के बाद ही पूर्णतः फलीभूत हो सकता है। इसके लिए आत्मा के अमरत्व में विश्वास आवश्यक है। मनुष्य एक मरणशील प्राणी है परन्तु आत्मा अमर है। मानव जाति और मानवता अमर है। संसार में व्याप्त असत्य और अहिंसा के बीच गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया, सर्वसुलभ बनाया और समस्त मानवता को उस अमरत्व की ओर अग्रसर होने की महान् प्रेरणा दी। यह उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है।

संदर्भ

१. गांधी की आत्मकथा, १९४८, पृ. ६-७
२. रामजी सिंह और धर्मराज यादव, गांधी विचार और सामाजिक पुनर्रचना, पृ. ४१
३. रोमो रोल्स, महात्मा गांधी, जीवन और दर्शन (अनूदित), पृ. १४२
४. यंग इण्डिया, ९ मार्च, १९३०
५. वी. पी. वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, २००२, पृ. ३४३
६. हरिजन, १२ दिसम्बर, १९३८, पृ. ३२६-२७
७. एम. के. गांधी, नानवायलेंस इन पीस एण्ड वार, वाल्यूम प्रथम, पृ. ४२५
८. प्यारेलाल, पुर्णाहुति, खण्ड ४, पृ. ५१४
९. रामचन्द्र राही, गांधी अहिंसा की सामाजिक शक्ति एवं प्रक्रिया के अन्वेषक, सम्मिलित रामजी सिंह, पूर्वोक्त, पृ. २८
१०. बी. पी. पांथरी, महात्मा गांधी और भारतीय स्वातंत्र्य, संग्राम, पृ. ३०७
११. डी. एन. चतुर्वेदी, गांधी अर्थनीति, पृ. ४८

“शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त एवं सामान्य बच्चों के अभियोजन कौशल का एक अध्ययन”

A Study of Adjustment Skills of Physically Challenged and Non-challenged Children

-गौतम प्रसाद सक्सेना*

-डॉ. आर. पी. सिंह**

“प्रस्तुत अध्ययन शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त एवं सामान्य बच्चों के अभियोजन कौशल का तुलनात्मक अध्ययन है।” अध्ययन हेतु सोदेश्यपूर्ण न्यायदर्श चयन विधि का उपयोग करके वाराणसी जनपद के विभिन्न स्कूलों में अध्ययनरत ५० शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त (२५ लड़के एवं २५ लड़कियाँ) एवं ५० सामान्य (२५ लड़के एवं २५ लड़कियाँ) बच्चों को लिया गया, जिनकी आयु १०-१४ वर्ष के बीच थी। अभियोजन कौशल मापन हेतु सिन्हा ए. के. पी. एवं आर. पी. सिंह (१९९३) द्वारा निर्मित स्कूल समायोजन मापनी का उपयोग किया गया। सांख्यिकीय विश्लेषणोपरान्त यह पाया गया कि शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त एवं सामान्य बच्चों के अभियोजन कौशल में सार्थक भिन्नता होती है एवं सांवेगिक अभियोजन कौशल, सामाजिक अभियोजन कौशल तथा शैक्षिक अभियोजन कौशल में शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त बच्चे सामान्य से अच्छे पाये गये।

विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवस्था में उसके सामान्य व्यवहार, कार्य-शक्ति, विचार एवं नियमित कृत्य को न्यूनाधिक प्रभावित कर आंगिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक असन्तुलन उत्पन्न कर देती है। विकलांगता ऐसी योग्यता का अभाव या बाधा है जो व्यक्ति को समान आयु, लिंग और सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के होने के बावजूद सामान्य व्यक्तियों की तरह काम करने में रुकावट डालती है (डब्ल्यू. एच. ओ. १९८०)। विकलांग जन अधिनियम, १९९५ में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिस व्यक्ति की बाधाग्रस्तता ४० प्रतिशत या उससे अधिक होगी उसे ही विकलांग की श्रेणी में रखा जायेगा।

* शोध-छात्र, मनोविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)।

** रीडर, मनोविज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)।

शारीरिक चुनौतीग्रस्तता या चलन क्रिया सम्बन्धी विकलांगता उस समय होती है जब हमारे शरीर की गति किसी रोग, चोट, जोड़ों, हड्डियों, मांसपेशियों में विकास अथवा तंत्रिकाओं, मेरुरज्जू या मस्तिष्क की चोट अथवा जन्मजात अपूर्णता के कारण प्रभावित होती है। “किन्हीं कारणों से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की गतिशीलता प्रभावित हो जाय तो उस स्थिति को चलन क्रिया सम्बन्धी विकलांगता (शारीरिक चुनौतीग्रस्तता) कहते हैं” (मिश्र, विनोद कुमार, २००३)।

कुछ बच्चों में एक या अनेक आंगिक दोष पाये जाते हैं, जिनके कारण उनका व्यवहार, व्यक्तित्व तथा जीवनयापन के उनके साधन सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, किन्तु आधुनिक मनोवैज्ञानिकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की दृष्टि में ये लोग विकलांग नहीं हैं क्योंकि उनके पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं होती। इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किन्तु थोड़े से सहयोग के आधार पर अपनी शारीरिक चुनौतियों का सामना दृढ़तापूर्वक करके सफल होने में उनके सामर्थ्य की बराबरी सामान्य बच्चों के लिए अकल्पनीय होती है। इसलिए इनकी समस्याओं को शारीरिक चुनौती कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है (राय एवं अस्थाना, २००५)।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त बच्चों में पोलियो के शिकार, हाथ-पैर का टेढ़ा या विरूपित जन्मजात अथवा बीमारी के कारण या कसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो गये बच्चों को विभिन्न विद्यालयों से लिया गया। इस अध्ययन में शारीरिक विकलांगता, अस्थि-विकलांगता, चलन विकलांगता एवं शारीरिक चुनौती ग्रस्तता को एक दूसरे के समानार्थी के रूप में उपयोग किया गया है।

“समायोजन अथवा अभियोजन वह अवस्था है जिसमें एक ओर व्यक्ति की आवश्यकताएँ तथा दूसरी ओर वातावरण के कुछ दावे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट होते हैं अथवा अभियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के आवश्यकताओं एवं दावों में सामंजस्य प्राप्त होता है (आइजैक, १९७२)।”

सुजाता (२००३) ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि विकलांग एवं सामान्य किशोरों के अभियोजन कौशल में सार्थक भिन्नता होती है। ओझा (२००३) ने शारीरिक विकलांगों की सामाजिक चिन्ता एवं मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन कर पाया कि विकलांगों एवं सामान्य किशोरों की सामाजिक चिन्ता में सार्थक भिन्नता होती है तथा विकलांग महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा सामाजिक चिन्ता अधिक होती है। अमीना भाभी (१९९६) ने विकलांगों एवं सामान्य किशोरों के व्यक्तित्व समायोजन का अध्ययन किया और पाया कि सामान्य किशोरों की तुलना में विकलांगों का व्यक्तित्व समायोजन, गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं सांवेगिक समायोजन सार्थक रूप से भिन्न था। हसनैन, एन. एवं जोशी, के. के. (१९८४) ने कुछ मनोवैज्ञानिक कारकों को लेकर अपंग एवं सामान्य बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन किया और परिणाम में पाया कि सामान्य और विकलांग बच्चों से ज्यादा प्रभुत्व पूर्ण व्यवहार वाले तथा अपेक्षाकृत कम खुलने वाली प्रवृत्ति

के थे। भार्गव, एम. एवं लवानिया, वी. (१९८१) ने संवेगात्मक रूप से विकलांग एवं सामान्य बच्चों का अध्ययन किया और देखा कि सांवेगिक रूप से अस्थिर बच्चे अधिक असुरक्षित, शर्मीले, भावुक एवं अस्थिर होते हैं। राइट (१९५९) ने अपने अध्ययन द्वारा स्पष्ट किया कि शारीरिक रूप से विकलांगों की समस्याएँ सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के समायोजन की होती हैं। मनोवैज्ञानिक विकलांगता प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक गठन में पाया जाता है जो व्यक्ति के व्यवहार में पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न करता है और जो व्यक्ति अथवा बालक को विकलांग व्यक्ति अथवा बालक से अलग दर्शाती है।

वर्तमान अध्ययन शारीरिक रूप से चुनौती ग्रस्त एवं सामान्य बच्चों के अभियोजन कौशल का तुलनात्मक अध्ययन करना है, जिसके लिए यह उपलब्धता स्थापित की गयी कि शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त एवं सामान्य बच्चों के अभियोजन कौशल में भिन्नता अथवा अन्तर होना चाहिए।

अध्ययन विधि (Method)

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए सोदेश्यपूर्ण न्यादर्श चयन प्रविधि (Purposive Sampling Technique) का उपयोग किया गया है, जिसमें वाराणसी जनपद के विभिन्न स्कूलों में अध्ययनरत शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त एवं सामान्य बच्चों को चुना गया, जिनकी आयु लगभग १०-१४ वर्ष के बीच थी। अध्ययन में समान सामाजिक-आर्थिक प्रस्थिति वाले परिवारों के बच्चों को प्रतिदर्श के रूप में शामिल किया गया। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त बच्चों के चयन के समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि उनकी विकलांगता या चुनौतीग्रस्तता ४० प्रतिशत या उससे अधिक हो। सामान्य बच्चों का चयन शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त बच्चों की समान कक्षा एवं वर्ग से किया गया। प्रतिदर्श के रूप में ५० शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त (२५ बालक एवं २५ बालिकाएँ) तथा ५० सामान्य (२५ बालक एवं २५ बालिकाएँ) बच्चों को लिया गया।

प्रयुक्त परीक्षण

प्रस्तुत अध्ययन में प्रयोज्यों के अभियोजन कौशल मापन हेतु ए. के. पी. सिन्हा एवं आर. पी. सिंह (१९९३) द्वारा निर्मित मापनी का उपयोग किया गया। इस मापनी का निर्माण स्कूली छात्र-छात्राओं के समायोजन मापन हेतु किया जाता है। इस मापनी में कुल ६० पद हैं तथा यह दो बिन्दु मापनी है। इस मापनी द्वारा अभियोजन कौशल के तीन क्षेत्रों सांवेगिक, सामाजिक एवं शैक्षिक अभियोजन कौशल का मापन किया जाता है। यह एक विश्वसनीय एवं वैध मापनी है।

परिणाम एवं व्याख्या (Result and Discussion)

क्रम	अभियोजन के क्षेत्र (Areas of Adjustment)	शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त बच्चे			सामान्य बच्चे			'टी' अनुपात (T' Ratio)
		(Physically Challenged Children)			(Non-challenged Children)			
		संख्या	माध्य	मा.वि.	संख्या	माध्य	मा.वि.	
१.	सांवेगिक अभियोजन कौशल (Emotional Adjustment Skills)	५०	५.७८	३.९०	५०	३.७६	३.५८	२.७०*
२.	सामाजिक अभियोजन कौशल (Social Adjustment Skills)	५०	८.१८	२.८०	५०	६.५६	२.१७	३.२३*
३.	शैक्षिक अभियोजन कौशल (Educational Adjustment Skills)	५०	६.०८	३.१२	५०	४.५४	२.७९	२.६०*
४.	सम्पूर्ण अभियोजन कौशल (Total Adjustment Skills)	५०	२०.०४	७.७९	५०	१४.८४	६.६३	३.५९*

Note : * Significant at .01 level.

तालिका-१ के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त एवं सामान्य बच्चों के अभियोजन कौशल में सार्थक रूप से भिन्नता होती है। चुनौतीग्रस्त बच्चों के सम्पूर्ण अभियोजन कौशल प्राप्तांकों का मध्यमान २०.०४, मानक विचलन ७.७९ एवं सामान्य बच्चों के सम्पूर्ण अभियोजन कौशल प्राप्तांकों का मध्यमान १४.८४, मानक विचलन ६.६३ पाया गया। दोनों समूहों की तुलना करने पर 'टी' अनुपात ३.५९ प्राप्त हुआ जो .०१ स्तर पर दोनों समूहों के अभियोजन कौशल को सार्थक रूप से भिन्न प्रदर्शित करता है। अर्थात् दोनों समूहों के बच्चों में अभियोजन कौशल स्तर पर भिन्नता पायी गयी। तालिका अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त बच्चों के सांवेगिक अभियोजन कौशल प्राप्तांकों का मध्यमान क्रमशः ५.७८ एवं सामान्य बच्चों का ३.७६ है तथा मानक विचलन क्रमशः ३.९० एवं ३.५८ है तथा 'टी' अनुपात २.७० है जो .०१ स्तर पर सार्थक रूप से भिन्न है। चुनौतीग्रस्त बच्चों के सामाजिक अभियोजन कौशल प्राप्तांकों का मध्यमान ८.१८, मानक विचलन २.८० तथा सामान्य बच्चों का मध्यमान ६.५६, मानक विचलन २.१७ तथा 'टी' अनुपात ३.२३ है .०१ स्तर पर सार्थक रूप से भिन्न है तथा चुनौतीग्रस्त बच्चों के शैक्षिक अभियोजन कौशल प्राप्तांकों का मध्यमान ६.०८, मानक विचलन ३.१२ तथा सामान्य बच्चों का मध्यमान ४.५४, मानक विचलन २.७९ तथा दोनों समूहों का 'टी' अनुपात २.६० है जो .०१ स्तर पर दो समूहों के बच्चों को शैक्षिक अभियोजन कौशल के स्तर पर भिन्न प्रदर्शित करता है।

अतः स्पष्ट होता है कि शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त बच्चों का अभियोजन कौशल सामान्य बच्चों के अभियोजन कौशल से भिन्न व अपेक्षाकृत अच्छा पाया गया। विकलांग बच्चों का सांवेगिक समायोजन, सामाजिक समायोजन एवं शैक्षिक समायोजन सामान्य बच्चों की अपेक्षा अच्छा होता है। लता, के. (१९८५) ने अपने एक अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया कि अस्थि विकलांग बच्चों एवं सामान्य बच्चों के अभियोजन कौशल में भिन्नता पायी जाती है।

अनेक दृष्टिकोणों से शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त बच्चे समाज द्वारा उपेक्षित समझे जाते हैं लेकिन अध्ययन के आधार पर स्पष्ट होता है कि चुनौतीग्रस्त बच्चों का शैक्षिक, सामाजिक एवं सांवेगिक समायोजन कौशल सामान्य बच्चों की अपेक्षा बेहतर प्राप्त होता है, जो दोनों समूह को समायोजन स्तर पर भिन्न प्रदर्शित करता है।

References

- * Aminabhavi, V. A. (1996). A Study of Adjustment Ability of Physically Disabled and Abled Students. *Journal of Community Guidance and Research*, 13 (1). pp.13-17.
- * Bhargva, M. & Lavania, B. (1981). A Comparative Study of Personality Characteristics of Sensory Disabled and Normal Children. *Journal of the Institute of Educational Researches*, 5; pp.1-5.
- * Eysenck, H. J. et.al. (1972). *Encyclopaedia of Psychology* : London.
- * Hasnain, N. & Joshi, K. K. (1984). A Comparative Study of Some Psychological Factors of Lame and Normal Boys. In M. G. Husain (Ed.). *Problem and Potentials of the Handicapped*, New Delhi : Atlantic Publishers, pp.64-70.
- * Lata, K. (1985). Impact of Parental Attitude on Social, Emotional and Educational Adjustment of Normal and Handicapped Students. *Ph.D. Psychology, Agra University*.
- * Ojha, S. (2002). A Comparative Study of Social Anxiety and Mental Health of Handicapped and Normal Adolescents. *Indian Psychological Reviews*, Vol. 59, pp.114-120.
- * Sinha, A. K. P. & Singh, R. P. (1993). Adjustment Inventory for School Students (AISS). *Agra : National Psychological Corporation*.
- * Sujata (2003). Social-Emotional Adjustment of Hearing Impaired and Non-impaired Adolescents. *Journal of Psychological Researches*, Vol. 47, No. 1, pp.1-8.
- * Wright, B. A. (1959). *Psychology and Rehabilitation*. Washington, D.C. American Psychological Association.
- * Wright, B. A. (1960). *Psychological Disabilities : A Psychological Approach*, New York : Harper.
- * Rai, A. & Asthana, M. (2005). *Guidance and Counselling*. Varanasi : Motilal Banarasisdas.
- * Passed by Lok Sabha & Rajya Sabha (1995). The Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act., Gov. of India, New Delhi.
- * World Health Organization (1980). International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps : A manual of classification Relating to the Consequences of Disease. Geneva, Switzerland : Author.
- * Mishra, V. K. (2003). *Handicapped in Twenty First Century* : Allahabad : History Research Publishing Company, p.32.

भारतीय परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक शून्यता

(इतना विस्तृत फिर भी मौन)

—डॉ. ऋषिकेश सिंह*

प्रस्तुत लेख में क्रमवार उन बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है, जहाँ-जहाँ पर संविधान मौन है ऐसे बिन्दुओं पर परम्परा के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता रहा है। लेकिन कभी-कभी पूर्व की परम्पराओं को भी अपने ढंग से परिभाषित किया जाता है। इसलिए इस लेख में संवैधानिक उपबंध और परम्पराएँ दोनों ही पर समान रूप से प्रकाश डाला गया है। साथ ही साथ सन्दर्भित समस्याओं का समीचीन मूल्यांकन भी किया गया है। इन्हीं समीचीन मूल्यांकनों के परिवेश में प्रस्तुत है, **गिरिधर गोमांगो प्रकरण** से लेकर कार्यवाहक सरकार की परिकल्पना पर उठे विषयों पर सारगर्भित लेख 'संवैधानिक शून्यता' के कुछ ज्वलंत प्रश्न।

किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा-ढाँचा निर्धारित करता है, जिसके अन्तर्गत उसकी जनता शासित होती है। प्रत्येक देश का संविधान उसके संस्थापकों एवं निर्माताओं के आदर्शों, सपनों एवं मूल्यों का दर्पण होता है। वह जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक प्रकृति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। संविधान निर्माण के समय उन सारी बातों को उसमें स्थान दिया जाता है जो कि समसामयिक व दूरगामी हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ बातें एवं विधिगत प्रश्न छूट ही जाते हैं। ऐसे प्रश्न समय आने पर उभर आते हैं एवं उसका समाधान भी किया जाता है। अमेरिका में संविधान निर्माण हेतु जब फिलाडेल्फिया कनवेंशन बुलाया गया, उस समय मूल अधिकारों को संविधान में स्थान नहीं दिया। समय बदला, जनमत का दबाव बढ़ा, फलतः १७९१ में अमेरिकी संविधान के प्रथम १० संशोधनों द्वारा मूल अधिकारों को अमेरिकी संविधान का अटूट अंग बना दिया गया। इसी प्रकार भारत का जब संविधान बना, उस समय भी संविधान के कई-कई वाचन हुए। संविधान के प्रत्येक खण्ड पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया तथा करीब ७६३५ संशोधन पेश किये गये। इन तमाम संशोधन प्रस्तावों पर करीब ११४ दिन बहस हुई। इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद संविधान निर्माण में २ वर्ष,

* वरिष्ठ प्रवक्ता, स्नातकोत्तर राजनीतिशास्त्र विभाग, एल. वी. एस. पी. जी. कॉलेज, गोण्डा (उत्तर प्रदेश)।

Founder and Director, Indian Laboratory of Social Sciences and Societies.

Editor, Indian Journal of Social Sciences and Societies.

११ माह एवं १८ दिन का कुल समय लगा। फिर भी संविधान में कुछ ऐसी बातें विधिगत प्रश्न छूट गये जिन पर प्रकाशन समय आने पर पड़ा। ऐसे तमाम विधिगत प्रश्नों को समय रहते सुधार भी लिया गया, लेकिन भारतीय संविधान में अभी भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं, जहाँ पर हमारा संविधान मौन है तथा संवैधानिक शून्यता, विधिगत खालीपन को दिखलाता है। यदि सम्पूर्ण संविधान का क्रमवार अवलोकन किया जाय तो ऐसे प्रश्नों को जिसको कि समय रहते सुधारा भी गया है तथा जिसको अभी सुधारना अवशेष भी है, निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है :—

(१) संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना (जिसको कि अमेरिकी संविधान से लिया गया है) में समाजवादी पंथ निरपेक्षता एवं राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता जैसे सारवान एवं मूल्यवान शब्द तथा इसकी अर्थव्यंजना छूट गया था। १९७६ में संविधान लागू होने के करीब २६ वर्षों बाद इस पर सर्वप्रथम ध्यान संसदीय बहस के दौरान किसी समाजवादी सदस्य द्वारा दिलाया गया, जबकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता पर अपना मत व्यक्त कर रही थी। फलतः १९७६ में ही ४२वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवाद पंथ निरपेक्षता एवं एकता तथा अखण्डता शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिये गये।

(२) इसी दौरान मौलिक कर्तव्यों पर भी ध्यान दिलाया गया फलतः ४२वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के भाग ४ में एक नया अध्याय ४ए जोड़कर अनुच्छेद-५१ए के अन्तर्गत १० मौलिक कर्तव्यों की पुनर्स्थापना की गयी।

(३) इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद ५३ में यह कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। अनुच्छेद ६५ में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद खाली होने पर चाहे वह किसी कारण से खाली हो भारत का उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। मूल संविधान में इतना ही वर्णित करके छोड़ दिया गया था। ऐसी स्थिति की परिकल्पना भी नहीं की गयी थी कि यदि किसी कारणवश ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? ऐसी संवैधानिक शून्यता पर सर्वप्रथम ध्यान १९६९ में संसदीय बहस के दौरान ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य द्वारा तब उठाया गया था जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गयी थी। इस संवैधानिक शून्य पर प्रकाश पड़ने पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद ७० के अनुसार एक President Discharge of Function Bill 1969 पारित किया। जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक साथ खाली हो जाय तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और यदि यह भी पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इस बिल के पारित होने के कुछ दिनों के पश्चात् यह समस्या उस समय उत्पन्न हुई जब तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि ने जो उस समय राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण राष्ट्रपति पद पर कार्य कर रहे थे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए

अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इन परिस्थितियों में उपर्युक्त विधेयक के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला ने नये राष्ट्रपति के चुनाव तक के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।

(४) भारतीय संविधान में वहाँ पर भी संवैधानिक शून्यता नजर आती है जबकि आम लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो। यहाँ पर राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय करने को स्वतंत्र है कि वे किस दल विशेष को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। सिर्फ यही नहीं बल्कि संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि बहुमत प्राप्त दल को ही सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करेंगे। बल्कि यह परम्परा बन गयी है कि राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। यदि परम्परा का पालन राष्ट्रपति न करे वह स्वयं अपने विवेक से किसी भी अल्पमत वाले दल को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो कि बहुमत प्राप्त दल सरकार चलाने में असमर्थ है। लेकिन परम्परा का पालन करते हुए राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल को ही सदा आमंत्रित करता है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हमारा संविधान मौन है। यह संवैधानिक शून्यता नहीं तो और क्या है? इसका स्पष्ट प्रावधान संविधान में होना ही चाहिए। इस स्थिति में यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तो राष्ट्रपति और भी स्वतंत्र है कि वह किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। परन्तु ऐसी स्थिति आने पर राष्ट्रपति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सर्वप्रथम सबसे बड़े दल को आमंत्रण देगा। यदि वह दल इनकार करता है तो दूसरे नम्बर के सबसे बड़े दल को आमंत्रित करेगा यदि वह भी इनकार करता है तो चुनाव पूर्व बने किसी गठबन्धन वाले दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। व्यवहार में यह आशा की जाती है कि इतने व्यवहारिक प्रयोग के बाद कोई न कोई हल निकल ही आयेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है और ऐसी स्थिति में यह निर्णय राष्ट्रपति की विवेकशीलता पर छोड़ा गया है। परन्तु राष्ट्रपति की विवेकशीलता यदि राग-द्वेष से संचालित हो तो हम ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के निर्णय पर अँगुली नहीं उठा सकते हैं।

(५) इसी प्रकार से भारतीय संवैधानिक शून्यता वहाँ पर भी अखरती है, जबकि राष्ट्रपति को यह निर्णय करना हो कि अमुक सरकार बहुमत में है कि नहीं। यह भी निर्णय राष्ट्रपति अपने विवेक से ही करता है। किसी सरकार को बहुमत में होने पर भी अपनी शंका दूर करने के लिए वह तत्कालीन सरकार को बहुत कम दिन के अन्तराल में ही सदन में बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है। संविधान में कोई न्यूनतम व अधिकतम समय सीमा बहुमत सिद्ध करने के लिए नहीं निश्चित की गयी है। यह भी निर्णय राष्ट्रपति अपने विवेक से ही लेता है। ऐसी स्थिति में कोई भी राष्ट्रपति परिस्थितियों को देखकर ही निर्णय लेता है। यदि बहुत व्यापक स्तर पर दल बदल की सम्भावना हो तो वह बहुत ही कम दिन का समय, यहाँ तक कि २४ घण्टे का भी समय दे सकता है एवं स्थिति सामान्य हो तो २४ दिन का भी समय दे सकता है।

भारतीय संविधान की कमी उस स्थिति में नजर आती है जबकि कोई सरकार सदन में पराजित हो चुकी है या बहुमत हार चुकी हो और ऐसे हारे हुए सरकार का मुखिया (प्रधानमंत्री) सदन को भंग करने की सिफारिश करे और अनुच्छेद ७४(i) का बहुमत प्राप्त मंत्रिमण्डल की सलाह को मानने को बाध्य है न कि संसद में पराजित मंत्रिमण्डल की सलाह को। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उन सारी सम्भावनाओं को तलाशेंगे जिससे कि नयी सरकार का गठन हो सके, यदि ऐसी सम्भावना नहीं नजर आये व कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में न हो तब राष्ट्रपति अपने विवेक से संसद को भंग कर सकता है एवं नये चुनाव की उद्घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में व्यवहारिक स्तर पर सदन में कोई भी पराजित मंत्रिपरिषद, लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति के समक्ष नहीं करती है। एक बार ऐसी स्थिति १९७९ में तब आयी थी, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह ने बिना सदन का सामना किये ही लोकसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी और राष्ट्रपति ने उनकी सलाह को इस आधार पर मान लिया था कि कोई दल भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, हालाँकि श्री जगजीवन राम सरकार बनाने का दावा कर रहे थे लेकिन राष्ट्रपति को ऐसी जानकारी (प्रमाण सहित) थी कि श्री जगजीवन राम के साथ बहुमत नहीं है। ऐसी स्थिति में तत्कालीन राष्ट्रपति ने श्री जगजीवन राम के दावे को अस्वीकार करते हुए लोकसभा भंग कर दी थी व तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह को ही लोकसभा के चुनाव तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने का निर्देश दिया था।

(६) इसी सन्दर्भ में एक यह भी प्रश्न उठता है कि सरकार के पतन के बाद किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाय। इस विषय में भी कोई स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान न होने के कारण परम्परा के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले दल के मुखिया को बुलाया जाता है यह जानने के लिए कि आपने किस रणनीति के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पेश करके अमुक सरकार को गिराया है। आपकी सरकार बनाने की ठोस राजनैतिक आधार क्या है? यहाँ पर ध्यातव्य हो कि वर्तमान दलीय स्थिति से भिन्न किसी बड़े विरोधी दल या विपक्ष के नेता द्वारा ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था न कि किसी क्षेत्रीय दल, जो सरकार का घटक दल हो।

जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन में १७ अप्रैल १९९९ को सिर्फ एक मत (पक्ष में २६९, विपक्ष में २७०) से पराजित हो गयी। वहीं दूसरी तरफ सदन में एकमत विपक्ष में से कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने कांग्रेस से लेकर उन सभी दलों के नेताओं से सरकार बनाने सम्बन्धी राय जानी एवं विशेषकर समाजवादी पार्टी, आर. एस. पी. एवं फारवर्ड ब्लाक की राय जानने के बाद राष्ट्रपति इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। फलतः मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने २६ अप्रैल १९९९ को १२वीं लोकसभा भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी। सरकार बनाने के आपसी चर्चा के दौरान कुछ संविधान विशेषज्ञों ने यह भी चर्चा चलाया कि सदन में विश्वास मत हारी बाजपेयी सरकार को ही राष्ट्रपति पुनः सरकार बनाने के लिए आमंत्रित

कर सकते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ऐसा हो भी सकता है क्योंकि संविधान में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि सदन में पराजित सरकार को पुनः सरकार बनाने के लिए नहीं आमंत्रित किया जा सकता है। परन्तु व्यवहार में ऐसा करना राष्ट्रपति ने ठीक नहीं समझा क्योंकि यह सरकार टिकाऊ नहीं होती, इसलिए नये जनादेश प्राप्त करने के लिए लोकसभा को भंग कर दिया गया।

(७) संवैधानिक शून्यता या अस्पष्टता वहाँ पर भी देखने को मिलती है जबकि केन्द्र में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाय। ऐसी स्थिति में राज्यों के सन्दर्भ में वर्णित अनुच्छेद ३५६ जैसा राष्ट्रपति शासन का प्रावधान केन्द्र के लिए नहीं मिलता है। हमारी संविधान यहाँ एकदम पंगु नजर आता है। यदि राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाती है तो केन्द्र अनुच्छेद ३५६ का प्रयोग करता है, लेकिन ऐसा ही प्रावधान केन्द्र की संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर नहीं पाया जाता है।

(८) हमारा संविधान वहाँ पर भी कुछ स्पष्ट प्रावधान नहीं करता है कि यदि तत्कालीन सरकार का पतन हो जाय, तो नयी या वैकल्पिक सरकार का गठन कितने दिन के अन्तर्गत कर लेना चाहिए। जबकि लोकसभा भंग होने पर नयी लोकसभा के गठन छः महीने के अन्दर होने का प्रावधान तो स्पष्टतः संविधान में वर्णित है।

(९) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई बिल या विधेयक जब राष्ट्रपति के पास मंजूरी हेतु भेजा जायेगा तो राष्ट्रपति इस पर कितने दिनों के अन्तर्गत हस्ताक्षर करके संसद को वापस करेगा इस पर भी हमारे संविधान की अस्पष्टता झलकती है। इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं किया गया है। जब संविधान बन रहा था तो इसके लिए छः सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित करने की सलाह दी गयी थी, लेकिन आपसी विचार-विमर्श के बाद यह तय हुआ कि राष्ट्रपति जैसे पद की व्यस्तता एवं गरिमा को देखते हुए छः सप्ताह जैसी समय-सीमा तय करना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी बिल या विधेयक को राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श हेतु भी अनुच्छेद-१४३ के तहत भेज सकता है, ऐसी स्थिति में समय अधिक भी लग सकता है। इसलिए अन्ततः समय सीमा में न बाँधकर उसको यथाशीघ्र में बदल दिया गया। ध्यातव्य है कि यथाशीघ्र शब्द में यह भी भावना निहित मानी जा सकती है कि धन एवं वित्त विधेयक को छोड़कर किसी अन्य विधेयक को राष्ट्रपति उतने दिन तक रोके रख सकता है जब तक कि उस बिल या विधेयक को बनाने की महत्ता या आवश्यकता ही समाप्त हो गयी हो। परन्तु व्यवहारिक स्तर पर ऐसा होता नहीं है। राष्ट्रपति अक्सर ही यथाशीघ्र ही बिल या विधेयकों पर हस्ताक्षर करके सदन को लौटा देते हैं। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति स्व. ज्ञानीजैल सिंह ने डाकपाल विधेयक पर अनुच्छेद १११ का प्रयोग करके रोक लिया था और अब भी यह माना जाता है कि यह बिल या विधेयक राष्ट्रपति के मेज या जेब में पड़ा है। इस डाकपाल बिल पर जैल सिंह ने संविधान के अनुच्छेद १११ के तहत जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था।

(१०) संसदीय विशेषाधिकार के सम्बन्ध में भी हमारे संविधान की अस्पष्टता नजर आती है। संविधान के अनुच्छेद १०५ एवं अनुच्छेद १९४ के तहत क्रमशः संसद सदस्यों एवं विधानमण्डल के सदस्यों को विशेषाधिकार तो प्राप्त है लेकिन संसद विधानमण्डल के विशेषाधिकार क्या-क्या होंगे, इसका लिखित वर्णन हमारे संविधान में नहीं मिलता है। संविधान में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि ऐसे विशेषाधिकारों का निर्धारण स्वतः ही संसद या राज्य विधान मण्डल करेंगे।

(११) इसी प्रकार से यदि संविधान के भाग ३ में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकार व संसदीय विशेषाधिकार के बीच यदि कोई टकराव हो जाय तो, ऐसी स्थिति में किसको वरीयता दी जाय, कौन किसके अधीन होगा, भारतीय संविधान में स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। इस तरह का विवाद १९६४ में केशव सिंह देव बनाम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के बीच उठा था। जिस पर राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय की राय ली थी। इस सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट अभिमत रहा कि यह कोई जरूरी नहीं है कि परम्परा के आधार पर हमेशा ही मौलिक अधिकारों को संसदीय विशेषाधिकार पर वरीयता प्रदान की जाय, बल्कि कुछ मौलिक अधिकार यथा— अनुच्छेद १९ में वर्णित स्वतंत्रता सम्बन्धी अधिकार, संसदीय, विशेषाधिकार के अधीन हैं जबकि अनुच्छेद २० एवं २१ जैसे मौलिक अधिकार संसदीय विशेषाधिकारों पर भी लागू होते हैं।

(१२) अप्रैल १९९९ में बाजपेयी सरकार के पतन के दौरान जो सबसे बड़ा प्रश्न उठा वह है सांसदों की दोहरी सदस्यता। संविधान में सिर्फ इतना ही वर्णित है कि चुनाव के दौरान यदि कोई एक ही व्यक्ति एक से अधिक जगहों से लोकसभा या विधानसभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे १० दिन के अन्तर्गत किसी एक सीट को रखकर, यदि अन्य सीटों पर से इस्तीफा नहीं देता है तो एक को छोड़कर सारे सीटों पर से उसका निर्वाचन समाप्त कर दिया जायेगा। वहीं दूसरी तरफ संविधान में यह भी वर्णित है कि यदि कोई विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य लोकसभा या राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसे १४ दिन के अन्तर्गत किसी एक जगह की सीट रखकर अन्य जगहों से उसे इस्तीफा देना पड़ेगा।

परन्तु यह संवैधानिक प्रावधान तो नये चुनाव के बाद का है लेकिन यदि कोई लोकसभा का सदस्य काफी दिन पूर्व निर्वाचित हुआ है, वह लोकसभा की सदस्यता हेतु शपथ भी ले चुका है तथा इसी बीच संसदीय प्रक्रिया में भाग भी ले चुका है, यदि बाद में वह किसी राज्य का मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्रीपरिषद में सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह कितने दिन के अन्तर्गत लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देगा या फिर उसे कहाँ का सदस्य माना जाय, लोकसभा का या फिर राज्य विधान मण्डल का इस पर हमारा संविधान मौन है।

इस सन्दर्भ में ऐसा मामला बाजपेयी सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दिन १७ अप्रैल १९९९ को श्री गिरधर गोमांगों के सन्दर्भ में आया जो कि तत्कालीन समय में उड़ीसा के मुख्यमंत्री तथा लोकसभा सदस्य दोनो ही थे। मतदान के दिन इनकी सदस्यता पर तत्कालीन मंत्रीपरिषद के कुछ सदस्यों ने ही लोकसभा अध्यक्ष श्री बालयोगी के समक्ष उठाया था। सारे तथ्यों को जानने

के बाद श्री बालयोगी ने अपने तरफ से कोई निर्णय न देकर स्वतः श्री गिरधर गोमांगो के अन्तःकरण पर ही छोड़ दिया, जिसका अन्तिम परिणाम यह हुआ कि इन्होंने सरकार के विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया और तत्कालीन सरकार २६९ के मुकाबले २७० मतों से विश्वास प्रस्ताव सदन में हार गयी। श्री गिरधर गोमांगो के मत को लेकर कई तरह के पूर्व के दृष्टान्त दिये गये कि दो बार ऐसे मौके आये लेकिन वे तत्कालीन सदस्य लोकसभा में ही नहीं आये। यह ठीक है कि वे नहीं आये लेकिन यदि वे आकर मतदान करना भी चाहते तो संविधान उन्हें कहाँ रोक पाता। जहाँ तक अन्तःकरण की बात है तो श्री गोमांगो का अन्तःकरण यदि मतदान करने के लिए कहा था तो उन्होंने किया, इस पर स्वयं गोमांगो पर तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय पर भी टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने अपने तरफ से कोई निर्णय न देकर अपने को और विवाद में घसीटने से बचा लिया।

संविधान के अनुच्छेद ७५ (५) की परिधि में गोमांगो प्रकरण को लिया जा सकता है। जिसमें यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना छः महीने तक मंत्री परिषद का सदस्य बने रह सकता है, अर्थात् वह छः महीने तक मंत्री पद, प्रधानमंत्री पद एवं मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकता है। इससे स्पष्ट है कि गिरधर गोमांगो कम से कम छः महीने तक बिना विधानमण्डल की सदस्यता के उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और चूँकि हमारा संविधान लोकसभा की सदस्यता से ऐसी स्थिति में कोई कितने दिनों के अन्तर्गत इस्तीफा देगा, इस विषय में मौन है तो इसका मतलब यह है कि गोमांगो जब तक उड़ीसा के विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य नहीं बनते हैं तब तक वे लोकसभा सदस्य के रूप में बने रहेंगे। इस दौरान वे सारी सुविधाओं के हकदार होंगे जो कि एक लोकसभा के सदस्य को सदस्य के नाते मिलता है।

(१३) संवैधानिक शून्यता भारतीय संविधान में वहाँ पर भी स्पष्ट दिखता है तब जब कि तत्कालीन सरकार विश्वास मत हार गयी हो एवं लोकसभा भंग कर दी गयी हो। तत्कालीन सदन में पराजित सरकार ही केन्द्र में काम चलाऊ सरकार (Caretaker Government) की तरह कार्य कर रही हो। पूरे संविधान का सरसरी तौर पर अध्ययन किया जाय तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संविधान में कहीं भी कामचलाऊ सरकार जैसी सरकार की अवधारणा को मान्यता नहीं दी गयी है। जो भी सरकार होती है वह अगले चुनाव या नयी सरकार के गठन तक उसी तरह कार्य कर सकती है जैसे कि पूर्व में पूर्ण बहुमत वाली सरकार कार्य किया करती थी। लेकिन व्यवहार में कोई भी सरकार नयी नीतियों की घोषणा नहीं करती है। क्योंकि ऐसी घोषणा से यह ज्ञापित होगा तथा यह इस धारणा के विपरीत होगा कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल, संयुक्त दल या जो सरकार बनाता है उसी को देश का शासन चलाने का अधिकार प्राप्त है।

वास्तव में देखा जाय तो यू. एन. राव बनाम इन्दिरा गांधी के मामले में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि लोकसभा के विघटन हो जाने पर भी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होता। मंत्रिपरिषद प्रत्येक दशा में बनी रहती है और राष्ट्रपति को सलाह देती रहती है। ऐसी दशा में राष्ट्रपति

उसकी सलाह के विपरीत कार्य करता है तो यह संविधान के अनुच्छेद ५३(i) के विपरीत व असंवैधानिक होगा।

दूसरे शब्दों में लोकसभा के विघटन के पश्चात् वह मंत्रिमण्डल एक पूर्ण मंत्रिमण्डल होता है और वह सभी विषयों पर निर्णय लेने में सक्षम होता है। किन्तु इसका अपवाद यह भी है कि मंत्रिमण्डल प्रमुखतः दो प्रकार के प्रश्नों पर निर्णय नहीं ले सकता है—(१) ऐसे विषय जो उसके दल को चुनाव में अन्य दलों की अपेक्षा आर्थिक लाभ पहुँचाते हो और (२) यह कि ऐसे विषय पर निर्णय जो आने वाली सरकार यदि दूसरे दल की सरकार बनती है, के लिए कार्यान्वित करने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला हो।


वास्तव में कामचलाऊ सरकार या महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली सरकार के विवाद के केन्द्र में पहुँचकर हम देखें तो यह बात स्पष्ट होती नजर आती है कि कोई भी राष्ट्रपति, तत्कालीन सरकार को ही नयी सरकार के गठन तक कार्य करने को कहता है। इसके पीछे मूल भावना यह होती है कि पूर्व में जो निर्णय लिये जा चुके हैं उसका कार्यान्वयन होता रहे। विदेशी शासनाध्यक्ष आये, राष्ट्राध्यक्ष आये, इनकी अगवानी व सम्मान में भोज आयोजित करने जैसी हमारी संसदीय परम्पराएँ-गरिमाएँ व मूल्यों का पालन होता रहे। ऐसी मूल भावना से अलग हटकर कोई सरकार नयी उद्घोषणा करे, नयी व क्रान्तिदर्शी नीतियों को लागू करे, यह किसी भी ऐसी सरकार को शोभा नहीं देता, जो कि सदन में विश्वास मत हार चुकी हो या पराजित हो चुकी है। इस मूल भावना के आधार से अलग होकर निर्णय लेना वास्तव में इस संवैधानिक शून्यता का फायदा ही उठाने जैसा होगा।

ऐसी हालत में बहुत से राष्ट्रपतियों ने समय रहते तत्कालीन सरकार को चेताया भी है जैसे कि १९७९ में लोकसभा भंग करते समय तत्कालीन सी. नीलम संजीव रेड्डी ने अपने एक विज्ञप्ति में कहा था कि—“भारत सरकार (तत्कालीन चरण सिंह की सरकार) इस (कामचलाऊ) अवधि में कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी, जिससे नयी नीति बने अथवा महत्वपूर्ण किस्म का नया खर्च करना पड़े या फिर जिसे बड़ा प्रशासनिक फैसला कहा जा सके।” वहीं दूसरी तरफ विश्वास मत हारने से पहले ही इस्तीफा देने वाले इन्द्रकुमार गुजराल के सरकार के प्रति तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर. के. नारायणन का रवैया पूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी के रवैये जैसा नहीं था, बल्कि उदार था। जिसके तहत श्री नारायणन ने दिसम्बर १९९७ में प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कामचलाऊ सरकार को परिभाषित किया था। जिसमें इन्होंने लिखा था कि “हमारे संविधान के तहत मौजूदा सरकार कामचलाऊ नहीं है, उसे विवेक के साथ काम करने का पूरा अधिकार है।” यदि इस पूरी व्यवस्था का विश्लेषण किया जाय तो इसमें सबसे प्रभावकारी व महत्वपूर्ण शब्द विवेक था, जो इस हद तक विषय सापेक्ष है कि गुजराल सरकार को प्रसार भारती अध्यादेश जारी करने से नहीं रोक पाया।

इस तरह स्पष्ट है कि विश्व का सर्वाधिक लम्बा संविधान होने के बावजूद भी भारतीय संविधान विभिन्न स्थानों पर अब भी मौन है। यद्यपि संशोधनों द्वारा इसे दूर करने का भी प्रयास किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संविधान लिखित होने का तात्पर्य यह नहीं है कि सब कुछ लिखा जा चुका है। इसलिए चाहे सब कुछ लिखने का प्रयास किया गया हो या बहुत कुछ छोड़ दिया गया हो, संवैधानिक शासन, शासन चलाने वाले व्यक्तियों, अपने प्रतिनिधियों को चुनने वाली जनता की अच्छाई का ही दर्पण होता है। यदि किसी देश के लोग अच्छे हैं तो उस देश का संविधान स्वयं ही अच्छा हो जाता है।

संदर्भ

- * भारत का संविधान (संशोधना सहित)
- * संविधान सभा वाद-विवाद
- * भारतीय संसद, ए. बी. लाल
- * भारतीय शासन एवं राजनीति, डॉ. आर. के. सिंह
- * भारत का संविधान, एम. बी. पायली



Dr. Rishikesh Singh
Editor in Chief

**INDIAN JOURNAL OF SOCIAL
SCIENCES & SOCIETIES**

Publisher

Flash Publication

Janaki Nagar (Basant Bihar), Bahraich Road, Gonda (U.P.)
Mob. 9415458974